[2021] 3 एस. सी. आर. 524

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

वी.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर।

(2021 की सिविल अपील संख्या 323)

15 अप्रैल, 2021

[रोहिंटन फाली नरीमन, बी. आर. गवई और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 7 निगमित देनदार के कुछ मूल ऋणदाताओं ने निगमित देनदार द्वारा उन्हें दिए गए ऋणों को अपीलार्थी को सौंपा-अपीलार्थी ने वास्तविक ऋण लिया।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत निगमित देनदार की परियोजना परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा और यू/आवेदन दायर किया कॉरपोरेट देनदार से चूक के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 7-चूंकि चूक की तारीख का संकेत देने वाले प्रासंगिक प्रपत्र में ऐसी किसी तारीख का संकेत नहीं था, इसलिए बाद में अपीलकर्ता द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक पूरक हलफनामा दायर करके इसे बनाया गया, जिसमें विशेष रूप से चूक की तारीख का उल्लेख किया गया था और कॉरपोरेट देनदार की बैलेंस शीट की प्रतियां संलग्न की गई थीं, जो अपीलकर्ता के अनुसार, समय-समय पर देय ऋण को स्वीकार करती थीं-एन. सी. एल. टी.

एस ने स्वीकार किया। 7 आवेदन, यह देखते हुए कि निगमित देनदार की तुलनपत्र, जिसमें उसने अपनी देनदारी स्वीकार की थी, पर चूक की तारीख से तीन साल की समाप्ति से पहले हस्ताक्षर किए गए थे, और इसमें प्रविष्टियाँ

ऐसी तुलन-पत्रियां एस के प्रयोजनों के लिए देय ऋण की पावती हैं। 18 सीमा अधिनियम, एस। 7 आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था-क्या किसी निगमित देनदार की तुलनपत्र में प्रविष्टियां सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण की स्वीकृति के बराबर होंगी। सीमा अधिनियम की धारा 18-आयोजित:

बैलेंस शीट सहित लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टि, एस के अर्थ के भीतर दायित्व की स्वीकृति के बराबर हो सकती है। 18 सीमा अधिनियम-यद्यपि तुलनपत्र दाखिल करना कानून की मजबूरी से होता है, ऋण की स्वीकृति आवश्यक रूप से ऐसा नहीं है-कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से पता चलता है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तुलनपत्र दाखिल करना -

कंपनी अधिनियम अनिवार्य है, इसका कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है-हालाँकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न या उनका हिस्सा बनने वाले नोट

एस द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। 134 (7) – समान रूप से, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 524 मूल्यांकन विवरण

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर।

स्वीकारोक्ति के संबंध में चेतावनी भी दर्ज कर सकते हैं तुलनपत्र सहित लेखा बहियां-इस प्रकार, विधि में तुलनपत्र तैयार करने की बाध्यता है, लेकिन कोई विशेष स्वीकारोक्ति करने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या तुलनपत्र में की गई प्रविष्टि कोई विशेष लेनदार स्पष्ट है या उसके साथ दर्ज की गई है।

चेतावनी, जिसकी तब यह स्थापित करने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर जांच की जानी चाहिए कि क्या वास्तव में दायित्व की स्वीकृति दी गई है, जिससे यू / सीमा अधिनियम-सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 - एस. 18-कंपनी अधिनियम, 2013-एस. 2 (40) , 90 , 128 , 129 , 134 और 137-प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 238 ए-क्या

एस. 18 सीमा अधिनियम, जो लिखित रूप में किए गए और निगमित देनदार द्वारा हस्ताक्षरित ऋण की स्वीकृति के आधार पर सीमा की अवधि को बढ़ाता है, एस के तहत भी लागू होता है। 238 ए,

आई. बी. सी. पर सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाली "जहां तक हो सके" अभिव्यक्ति को देखते हुए-आयोजितः उपरोक्त प्रश्न नहीं है।

एकर एकर एकर

अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अर्थात्, जब समय चलना शुरू हो जाता है, तो इसे कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अलावा नहीं रोका जा सकता है।

पूर्ववर्ती-बाध्यकारी पूर्ववर्ती-टकटकी निर्णय का नियम-प्रत्येक

तर्कपूर्ण नवीनता कानून की एक स्थिर स्थिति को पूर्ववत नहीं करती है।

-

भारत का संविधान-कला। 141 .

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. इस न्यायालय के कई निर्णयों ने संकेत दिया है

कि तुलनपत्र सहित लेखा बहियों में की गई प्रविष्टि, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के अर्थ के भीतर दायित्व की स्वीकृति के बराबर हो सकती है। [पैरा 14] [541 एफ-जी]

2. कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक विस्तृत निर्णय

बंगाल सिल्क मिल्स कंपनी के मामले में कहा गया है कि बैलेंस शीट में किए गए दायित्व की स्वीकृति एक [2021] 3 एस. सी. आर. के बराबर हो सकती है।

ऋण की स्वीकृति। महत्वपूर्ण रूप से, इस निर्णय में कहा गया है कि हालांकि बैलेंस शीट दाखिल करना कानून की मजबूरी है, लेकिन ऋण की स्वीकृति जरूरी नहीं है। वास्तव में, किसी तुलनपत्र में ऐसी तुलनपत्र के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाले नोटों के साथ या लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रविष्टि होना असामान्य नहीं है, जिसे तुलनपत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि ऐसी प्रविष्टि ऋण की स्वीकृति के बराबर नहीं होगी।

उक्त नोट में कारण दिए गए हैं। [पैरा 16] [543-ई-एफ; 547-बी-सी]

विशेष स्वीकार, कानून में सही है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या किसी विशेष लेनदार के लिए बैलेंस शीट में की गई प्रविष्टि स्पष्ट है या दर्ज की गई है। इसके बाद मामले के आधार पर जांच की जानी चाहिए ताकि यह स्थापित किया जा सके कि क्या देयता सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बिशल जयस्वाल और ए. एन. आर. की स्वीकृति है।

वास्तव में, सीमा अधिनियम के तहत सीमा का विस्तार किया गया है। [पैरा 21,22] [550-एफ-जी; 551-सी-डी; जी; 555-डी-जी; 557-ए-बी; 558-जी-एच; 559-ए-सी]

वी. पद्मकुमार बनाम दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष,

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 57

(एन. सी. एल. ए. टी. की पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले ने फैसला सुनाया

12.03.2020) पर-रद्द कर दिया गया।

जिग्नेश शाह बनाम। भारत संघ (2019) 10 एस. सी. सी. 750

: [2019] 12 एससीआर 678; शेष नाथ सिंह बनाम। बैद्यबती

शेओराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड, 2021 (4)

स्केल 499; लक्ष्मी पट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

2021 (5) स्केल 20; बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर

गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड, (2020) 15 एससीसी 1 ; अंबिका प्रसाद मिश्रा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1980) 3 एस. सी. सी.

719 : [1980] 3 एस. सी. आर. 1159; खान बहादुर शापूर

फ्रेडून मजदा बनाम। दुर्गा प्रसाद, [1962] 1 एससीआर 140;

महाबीर कोल्ड स्टोरेज बनाम। सी. आई. टी., (1991) 1 पूरक। एस. सी. सी. 402

: [1990] 3 पूरक। एससीआर 469; ए. वी. मूर्ति बनाम बी. एस

906 ; और एस. नटराजन बनाम। समा धर्मन, 2014 (9) स्केल 3-पर भरोसा किया गया।

बंगाल सिल्क मिल्स कं. v. इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़,

(1961) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 128: ए. आई. आर. 1962 कैल 115; साउथ एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम जनरल कृष्णा

185: आई. एल. आर. (1972) 2 डेल 712; पंडम टी कंपनी लिमिटेड, पुनः, 1973 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 93: ए. आई. आर. 1974 कैल 170;

हेगड़े एंड गोले लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक, (1985)

एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 428: आई. एल. आर. 1987 कर 2673; भजन

वी. श्री वर्धमान ओवरसीज लिमिटेड (2011) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 5599: (2012) 343 आई. टी. आर. 408; शाही एक्सपोर्ट्स प्रा.

लिमिटेड वी. सीएमडी बिल्डटेक प्रा. लिमिटेड (2013) एस. सी. सी. ऑनलाइन

डेल 2535: (2013) 202 डीएलटी 735; एन. एस. अटवाल बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, (2013) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3902;

एम/एस। अल-अमीन लिमिटेड बनाम। के. पी. सेतुमाधवन, (2017)

एस. सी. सी. 50 ऑनलाइन केर 11337: (2017) 4 के. एल. जे. 80; ज़ेस्ट [2021] 3 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड वी. व्यावसायिक और विकास केंद्र उद्यमिता अध्ययन, (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल

12116 ; और अग्नि विमानन सलाहकार बनाम। की स्थिति

तेलंगाना, (2020) एससीसी ऑनलाइन टीएस 1462: (2020) 5 ए. एल. डी. 561 स्वीकृत।

काशीनाथ शंकरप्पा बनाम। नया अकोट कॉटन जिनिंग और

प्रेसिंग कंपनी लिमिटेड (1949) एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 123;

काशीनाथ शंकरप्पा वानी बनाम। नया अकोट कॉटन

जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी लिमिटेड, [1958] एससीआर 1331;

विजयलक्ष्मी बनाम। हरि हरा गिनिंग एंड प्रेसिंग,

नंदीगाँव, 1998 का ओएस ए No.40 (आंध्र द्वारा तय किया गया)

03.03.1999) पर प्रदेश उच्च न्यायालय; अजीत चंद्र

बागची बनाम. हरिशपुर टी कंपनी (पी.) लिमिटेड, (1990) एस. सी. सी.

ऑनलाइन गौ 24: ए. आई. आर. 1991 गौ 92; वाशदेव आर.

भोजवानी बनाम. अभ्युदय कूप। बैंक लिमिटेड, (2019) 9 एससीसी

158 : [2019] 12 एस. सी. आर. 75; बी. के. शैक्षिक सेवाएँ

(पी) लिमिटेड बनाम। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एससीसी

633 [2018] 12 एससीआर 794; सागर शर्मा बनाम। फीनिक्स

आर्क (पी) लिमिटेड, (2019) 10 एससीसी 353; और कमलेश बाबू बनाम।

लाजपत राय शर्मा, (2008) 12 एस. सी. सी. 577-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 12 एससीआर 678

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

2021 (4) स्केल 499

उस पर भरोसा करें

2021 (5) स्केल 20

पैरा 9

(2020) 15 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[1980] 3 एससीआर 1159

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[1962] 1 एससीआर 140

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[1990] 3 पूरक। एससीआर 469

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[2002] 1 एससीआर 906

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

उस पर भरोसा करें

2014 (9) स्केल 3

पैरा 15

[1958] एससीआर 1331

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

पृष्ठ 55, पैरा

[2019] 12 एससीआर 75

संदर्भित किया गया है

पृष्ठ 57, पैरा

[2018] 12 एससीआर 794

एसेट रिकंस्ट्रक्शन को संदर्भित किया गया

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर।

पृष्ठ 57,

पैरा 1

(2019) 10 एस. सी. सी. 353

संदर्भित किया गया है

पृष्ठ 62,

पैरा 3

(2008) 12 एस. सी. सी. 577

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 323

2021 .

राष्ट्रीय संविधान के 22.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला संख्या 385 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण।

के साथ सिविल अपील सं।
3228 , 3765 2020 की सिविल अपील संख्या 2021 की 3,

2021 का एसएलपी (सी) No.1168।

मुकुल रोहतगी, श्याम दीवान, रामजी श्रीनिवासन, सौरभ कृपाल,

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सिद्धार्थ बरुआ, सुश्री आदित्य गुप्ता, सुश्री जैस्मीन दामकेवाला, प्रफुल्ल जिंदल, सुश्री रितिका, सुश्री वैशाली शर्मा, दिनेश चंदर त्रेहन, संजय कपूर, वी. एम. कन्नन, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, संजय भट्ट, सुमित नागपाल, सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, रबीन मजूमदार, अभिरूप दासगुप्ता, ईशान दुग्गल, सुश्री भावना शर्मा, सुश्री राजश्री चौधरी, मोहित डी. राम, मयंक जैन, परमात्मा सिंह, मधुर जैन, अभिजीत सिन्हा, सुश्री रोहिणी मूसा, जफर इनायत, आदित्य शुक्ला, सुश्री पल्लवी प्रताप, श्रीराम पी, जायेश बी. डोलिया, आर. वी. प्रभात, अभिजीत सिन्हा, संदीप बजाज, सोइब कुरैशी, देवांश जैन, आदित्य शुक्ला, अजय शर्मा, संजीव कुमार, अंशुल सहगल, फैसल शेरवानी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

आर. एफ. नरीमन, जे.

2021 की सिविल अपील No.323

1. 2009 में, कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड ["कॉर्पोरेट देनदार"] ने स्थापित किया।

झारखंड में एक ताप विद्युत परियोजना शुरू की, और ऐसा करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक ["एस. बी. आई".] सहित विभिन्न ऋणदाताओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। निगमित देनदार के खाते को एस. बी. आई. द्वारा 31.07.2013 पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था। 27.03.2015 पर, एस. बी. आई. ने एक जारी किया

ऋण-ऋणदाताओं के एजेंट के रूप में अपनी क्षमता में कॉर्पोरेट देनदार को वापस बुलाने की सूचना। आई. डी. 1 पर, कॉरपोरेट देनदार के कुछ मूल ऋणदाताओं, अर्थात् इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एस. बी. आई., स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने उन्हें [2021] 3 एस. सी. आर. द्वारा देय ऋण सौंपे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी का निगमित ऋणी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने अपनी ओर से और अन्य संघ ऋणदाताओं की ओर से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 ["सरफेसी अधिनियम"] की धारा 13 (2) के तहत कॉर्पोरेट देनदार को एक नोटिस जारी किया। आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत निगमित देनदार की परियोजना परिसंपत्तियों का वास्तविक भौतिक कब्जा ले लिया। 26.12.2018 पर, अपीलार्थी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कलकत्ता ["NCLT"] के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ["IBC"] की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया।

निगमित देनदार से Rs.5997,80,02,973/-। चूंकि चूक की तारीख का संकेत देने वाले प्रासंगिक प्रपत्र में ऐसी किसी तारीख का संकेत नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक पूरक हलफनामा दायर करके, विशेष रूप से चूक की तारीख का उल्लेख करते हुए और कॉर्पोरेट देनदार की तुलनपत्र की प्रतियों को संलग्न करते हुए, जिसे अपीलकर्ता के अनुसार, समय-समय पर देय ऋण को स्वीकार किया गया था, इसे बनाया गया था। एन. सी. एल. टी. द्वारा धारा 7 के आवेदन को यह देखते हुए स्वीकार किया गया था कि निगमित देनदार की बैलेंस शीट, जिसमें उसने अपनी देनदारी स्वीकार की थी, पर चूक की तारीख से तीन साल की समाप्ति से पहले हस्ताक्षर किए गए थे, और ऐसी बैलेंस शीट में प्रविष्टियां सीमा अधिनियम, 1963 ["सीमा अधिनियम"] की धारा 18 के उद्देश्यों के लिए देय ऋण की स्वीकृति हैं, धारा 7 के आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ["एन. सी. एल. ए. टी".] में दायर एक अपील में, निगमित देनदार ने वी. पद्मकुमार बनाम में एन. सी. एल. ए. टी. की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष, कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 2020 की 57 (12.03.2020 पर निर्णय लिया गया) ["वी. पद्मकुमार"], जिसमें चार सदस्यों का बहुमत [न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)] ए. आई. एस. चीमा, सदस्य (न्यायिक), ने असहमति जताते हुए कहा कि बैलेंस शीट में प्रविष्टियां सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण की स्वीकृति के बराबर नहीं होंगी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद, तीन

सदस्य पीठ ने पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले की शुद्धता पर संदेह करते हुए एक आदेश पारित किया और मामले को समन्वय पीठ का गठन करने के लिए एन. सी. एल. ए. टी. के कार्यवाहक अध्यक्ष को भेज दिया।

वी. पद्मकुमार (ऊपर) में निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति।

2. एन. सी. एल. ए. टी. की पाँच सदस्यीय पीठ ने विवादित

आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय ने निर्दिष्ट प्रश्न पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि पीठ को दिया गया संदर्भ स्वयं अक्षम था।

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयसवाल और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

3. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामजी श्रीनिवासन ने यह तर्क देते हुए विवादित फैसले की आलोचना की है कि एन. सी. एल. ए. टी. की पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले में

वी. पद्मकुमार (ऊपर) स्पष्ट रूप से इनक्यूरियम के अनुसार थे क्योंकि उन्होंने इस न्यायालय के विभिन्न बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किया है और यह कि उक्त निर्णय हाथ से बाहर संदर्भ को अस्वीकार करने में पूरी तरह से गलत था।

प्रारंभिक चरण। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने इस न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आई. बी. सी. की धारा 238 ए के अनुसार, सीमा अधिनियम की धारा 18 आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही पर लागू होती है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालयों के निर्णयों और इस न्यायालय के निर्णयों ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि निगमित देनदार की हस्ताक्षरित तुलनपत्रों में की गई प्रविष्टियां दायित्व की स्वीकृति के बराबर होंगी और इसलिए, इस मामले के तथ्यों पर एन. सी. एल. टी. द्वारा सही ढंग से भरोसा किया गया है। उन्होंने कुछ निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पांच सदस्यीय पीठ को दिया गया संदर्भ पूरी तरह से क्रम में था और गुण-दोष के आधार पर इसका जवाब दिया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पांच सदस्यीय पीठ का गठन, जिसने विवादित निर्णय पारित किया, पांच सदस्यों में से तीन के रूप में क्रम में नहीं था

4. उपरोक्त दलीलों का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत सिन्हा ने तर्क दिया कि धारा 7 का स्पष्टीकरण, जिसे "डिफ़ॉल्ट" की परिभाषा के साथ पढ़ा जाता है, निहित है।

आई. बी. सी. की धारा 3 (12) में, सीमा अधिनियम की धारा 18 को लागू करने से रोक दिया जाएगा क्योंकि वित्तीय ऋण के संबंध में चूक में न केवल आवेदक-वित्तीय लेनदार, बल्कि कॉर्पोरेट देनदार के अन्य सभी वित्तीय लेनदारों का वित्तीय ऋण शामिल होगा। इसके बाद उन्होंने दिवाला समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए धारा 238 ए को लागू करने के तर्क का उल्लेख किया, जिसने उपरोक्त धारा को पेश किया और इस तथ्य पर दृढ़ता से भरोसा किया कि इन सभी मामलों में, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और/या के समक्ष वसूली की कार्यवाही चल रही थी।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 ["ऋणों की वसूली अधिनियम"] के तहत अपीलीय प्राधिकरण और वह, [2021] 3 एस. सी. आर.

सीमा अधिनियम की धारा 18 को आई. बी. सी. पर लागू नहीं करने से वसूली बाधित नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलार्थी के प्रस्तुत करने का मुख्य मुद्दा यह था कि रु। 12,000 यदि तुलन-पत्रों में पावती पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो करोड़ रुपये की राशि बर्बाद हो जाएगी, और इस तथ्य पर जोर दिया कि यह केवल वसूली की कार्यवाही में प्रासंगिक होगा, न कि आई. बी. सी. के समक्ष कार्यवाही में, जो वसूली की कार्यवाही के लिए बिल्कुल भी नहीं हैं, जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दो उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया, ताकि उनकी इस दलील को पुष्ट किया जा सके कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के माध्यम से, बैलेंस शीट में की गई प्रविष्टियां ऋण की स्वीकृति के बराबर नहीं हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि धारा 7 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए मूल प्रपत्र में चूक की कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, और इसलिए यह एक गैर-उपचार योग्य दोष होगा, जिसके कारण धारा 7 के आवेदन को सीमा पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इसके बाद वे हमें इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर ले गए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि यदि घोषणा की तारीख से तीन साल की अवधि बीत चुकी थी।

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में एक निगमित देनदार का खाता, एक लेनदार द्वारा दायर दावा एक मृत दावा है जिसे सीमा अधिनियम की धारा 18 का सहारा लेकर पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में तुलनपत्र देयता की स्वीकृति के बराबर नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसे तुलनपत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह स्पष्ट कर देगी कि कोई स्पष्ट नहीं था

ऋण की स्वीकृति, लेकिन उस चेतावनी को लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में टिप्पणियों के माध्यम से दर्ज किया गया था।

5. दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, आई. बी. सी. की धारा 238 ए के अधिनियमन के लिए पहले तर्क का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 डब्ल्यू. ई. एफ. 06.06.2018 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। आई. बी. सी. की धारा 238 ए इस प्रकार है:

" 238 ए. सीमा। सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे।

वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो "।

6. जिग्नेश शाह बनाम। भारत संघ, (2019) 10 एस. सी. सी. 750, इस न्यायालय ने मार्च की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट को संदर्भित किया, 2018 , जिसके कारण धारा 238 ए को निम्नानुसार लागू किया गया:

रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v. बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उक्त निर्णय के पैरा 7 में [बी. के. शैक्षिक सेवाएँ

लिमिटेड वी. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एस. सी. सी. 633],

मार्च 2018 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित त्रुटि की गई थीः ([बी. के. शैक्षिक सेवाएँ (पी). वी. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एससीसी 633], एससीसी

644-45 , पैरा 11)

“ 11. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह को सुनने के बाद, यह है

परिचय के लिए पहले कारण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है

संहिता में धारा 238-ए। यह मार्च 2018 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में निम्नानुसार पाया जाना चाहिएः

'28 . सीमा का अनुप्रयोग अधिनियम, 1963

28.1 . एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के कई निर्णयों में संहिता पर सीमा अधिनियम, 1963 ("सीमा अधिनियम") के लागू होने के सवाल पर विचार-विमर्श किया गया है। इस विषय पर मौजूदा न्यायशास्त्र इंगित करता है कि यदि कानून एक पूर्ण कोड है, फिर एक स्पष्ट या आवश्यक

सीमा अधिनियम के बहिष्करण का सम्मान किया जाना चाहिए। [रवुला सुब्बा राव बनाम। सी. आई. टी., ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 604]

इस संबंध में भ्रम, समिति ने विचार किया

मुद्दा और सर्वसम्मति से सहमत हुए कि के इरादे

कोड जीवन का एक नया पट्टा देने के लिए नहीं हो सकता था

पूरक (1) एस. सी. सी. 499: 1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 149] इसे संहिता में "ऋण" और "दावा" की परिभाषा के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा, परिसमापन कार्यवाहियों में ऋण नहीं हो सकते हैं समय-वर्जित [संवादात्मक मीडिया और संचार

सॉल्यूशन (पी) लिमिटेड बनाम गो एयरलाइंस लिमिटेड, 2013 एससीसी ऑनलाइन

डेल 445: (2013) 199 डी. एल. टी. 267], और संहिता में कानून के इस सिद्धांत के विस्तार को बाहर करने के लिए कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है।

28.2 . इसके अलावा, सीमा पर कानून के लागू न होने से निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती हैं: सबसे पहले, यह अधिकार को फिर से खोलता है

समयबद्ध ऋण रखने वाले वित्तीय और परिचालन लेनदार

सी. आई. आर. पी. के लिए दायर करने के लिए सीमा अधिनियम के तहत, ट्रिगर

जो एक लाख रुपये से अधिक के ऋण पर चूक है।

21] 3 एस सी आर।

सीमा का कानून अशांति को रोकने के लिए है या

इक्विटी में जो कुछ अर्जित किया जा सकता है उसका अभाव

और लंबे आनंद से न्याय या क्या हो सकता है

किसी पार्टी की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही से खो गया '

[राजेंद्र सिंह बनाम। सांता सिंह, (1973) 2 एस. सी. सी. 705]। हालांकि संहिता एक ऋण वसूली कानून नहीं है, ट्रिगर

"ऋण के भुगतान में चूक" होने से इसका बहिष्करण होता है

सीमा का कानून काउंटर-सहज ज्ञान युक्त। दूसरा, यह फिर से खुलता है।

दावेदारों का अधिकार (एक सार्वजनिक जारी करने के अनुसार) सूचना) आई. आर. पी./आर. पी. के साथ समय-वर्जित दावे दायर करने के लिए, जो

संभावित रूप से समाधान योजना का एक हिस्सा हो सकता है। इस तरह की समाधान योजना पुनर्गठन समय-वर्जित ऋण और दावे

के लिए मौजूदा कानूनों के अनुपालन में नहीं हो सकता है

संहिता की धारा 30 (4) के अनुसार समय पर लागू है।

28.3 . यह देखते हुए कि इरादा पैकेज करने का नहीं था

लेनदारों और दावेदारों के लिए एक नए अवसर के रूप में कोड

जिन्होंने मौजूदा कानूनों के तहत अपने उपचार का प्रयोग नहीं किया

निर्धारित सीमा अवधि के भीतर, समिति

सोचा कि यह लागू करने के लिए एक विशिष्ट खंड डालने के लिए उपयुक्त है

संहिता के लिए सीमा अधिनियम। के तहत प्रासंगिक प्रविष्टि

सीमा अधिनियम मामले-दर-मामले के आधार पर हो सकता है। यह आगे था

नोट किया कि सीमा अधिनियम आवेदनों पर लागू नहीं हो सकता है

निगमित आवेदकों की, जैसा कि इन द्वारा शुरू किया गया है

सी. आई. आर. पी. के उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के ऋणों के लिए आवेदक और हैं
लेनदार के उपचार के रूप में नहीं। '

999

(मूल में जोर)

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि

सीमा अधिनियम केवल अदालतों पर लागू होता है, जब तक कि न्यायाधिकरणों पर सांविधिक रूप से लागू नहीं किया जाता है, समिति का विचार था कि ऐसा अधिनियम

आई. बी. सी. पर भी आवेदन करने के लिए कहा गया, यह देखते हुए कि हालांकि आई. बी. सी. एक ऋण वसूली कानून नहीं है, लेकिन "ऋण के भुगतान में चूक" होने के कारण सीमा के कानून का बहिष्करण "सहज ज्ञान के विपरीत" होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट किया गया था कि आई. बी. सी. के लिए एक आवेदन के बराबर नहीं होना चाहिए समय-वर्जित ऋणों का पुनरुत्थान, जिन्हें किसी अन्य मंच पर सीमा के आधार पर खारिज कर दिया जाता।

7. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि धारा 9 का सिद्धांत

सीमा अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अर्थात्, जब समय शुरू होता है तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

चलाने के लिए, इसे रोका नहीं जा सकता है, सिवाय कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के। इस न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न यह उठता है कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 18, जो लिखित रूप में किए गए और निगमित देनदार द्वारा हस्ताक्षरित ऋण की स्वीकृति के आधार पर सीमा की अवधि को बढ़ाती है, धारा 238ए के तहत भी लागू होती है, जो "जहां तक हो सके" अभिव्यक्ति को देखते हुए सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को नियंत्रित करती है।

आईबीसी।

8. उपरोक्त प्रश्न अब एकीकृत नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के दो हालिया निर्णयों ने धारा 14 के प्रावधानों को लागू किया है और

आई. बी. सी. के लिए सीमा अधिनियम की धारा 18। इस प्रकार, शेष नाथ सिंह बनाम। बैद्यबती शेओराफुली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 2019 की सिविल अपील संख्या 9198 (22.03.2021 पर निर्णय लिया गया), पैराग्राफ 57 में उस मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को निर्धारित करने के बाद, और IBC की धारा 238A का उल्लेख करने के बाद, अभिनिर्धारित किया गया:

" 66. इसी तरह सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत, विपरीत पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति का प्रभाव है - सीमा की एक नई अवधि की शुरुआत, उस तारीख से जिस दिन पावती पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हालांकि, स्वीकृति

सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए।

संभव है। 68. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 या 18 आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होनी चाहिए। बेशक, सीमा अधिनियम की धारा 18 इस मामले में आकर्षित नहीं है, क्योंकि एन. सी. एल. ए. टी. का विवादित आदेश किसी भी स्वीकृति के आधार पर आगे नहीं बढ़ता है।

9. लक्ष्मी पट सुराना बनाम में, घर के पास। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 2020 की सिविल अपील संख्या 2734, इस न्यायालय के [2021] 3 एस. सी. आर. सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद 26.03.2021 पर दिया गया एक निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियमस्ट्राइज़ (पी) लिमिटेड, (2020) 15 एस. सी. सी. 1 ["बाबूलाल"], तब अभिनिर्धारित किया गया:

" 35. इस तरह के अवलोकन का उद्देश्य बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (द्वितीय) [बाबूलाल वर्धरजी] के मामले में बताया गया है। गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड, (2020) 15 एससीसी 1]। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि इस न्यायालय ने इनकार नहीं किया था

सीमा अधिनियम की धारा 18 को लागू करना संहिता के तहत कार्यवाही, यदि मामले की तथ्य स्थिति आवश्यक है। इस बात पर विचार करते हुए कि धारा 238 क का तात्पर्य

संहिता, जैसा कि अधिनियमित किया गया है, प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है और एक प्रक्रियात्मक कानून होने के नाते पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था; जिसमें मामले-दर-मामले के आधार पर सीमा अधिनियम के प्रावधानों का अनुप्रयोग शामिल था। वास्तव में, संहिता में संशोधन का उद्देश्य सीमा अधिनियम के तहत समयबद्ध ऋणों को फिर से खोलना या पुनर्जीवित करना नहीं था। साथ ही, उस अधिनियम के तहत सीमा अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में सीमा की नई अवधि का संचय अपने आप होता है। यह मौजूदा समयबद्ध ऋणों को नया पट्टा देने का मामला नहीं होगा।

कानून (सीमा अधिनियम)।

36. विशेष रूप से, सीमा अधिनियम के प्रावधान किए गए हैं

जहां तक लागू हो सके, संहिता के तहत कार्यवाही पर लागू होता है। क्योंकि, धारा 238 ए भविष्यवाणी करती है कि

सीमा अधिनियम, जहाँ तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी., डी. आर. टी. या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होगा। 06.06.2018 पर संहिता की धारा 238A के अधिनियमन के बाद,

जहां इस न्यायालय द्वारा वैधता को बरकरार रखा गया है, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की सीमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 तक सीमित होगी और कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार केवल सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत हो सकता है। बाहर करने का कोई कारण नहीं है

कार्यवाहियों पर सीमा अधिनियम की धारा 18 का प्रभाव

संहिता के तहत शुरू किया गया। सीमा अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है -

इस प्रकार:

" 18. लिखित रूप में स्वीकृति का प्रभाव। - (1) जहाँ, किसी वाद के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले या

किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में आवेदन

ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति उस पक्ष द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित की गई है जिसके खिलाफ सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या किसी व्यक्ति द्वारा

जिसे वह अपनी उपाधि या दायित्व प्राप्त करता है, सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब स्वीकृति दी जाएगी।

इस तरह हस्ताक्षर किए गए थे।

(2) जहां पावती वाला लेखन दिनांकित नहीं है, उस समय का मौखिक साक्षय दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे; लेकिन भारतीय साक्षय के प्रावधानों के अधीन अधिनियम, 1872 (1872 का 1), इसकी सामग्री का मौखिक साक्षय प्राप्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(a) एक पावती पर्याप्त हो सकती है, हालांकि इसमें छूट दी गई है -

संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति निर्दिष्ट करें, या इस बात से इनकार करें कि भुगतान, वितरण, प्रदर्शन या आनंद का समय अभी तक नहीं आया है या इसके साथ भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया है, या इसे बंद करने के दावे के साथ जोड़ा गया है, या किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया गया है संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति की तुलना में;

(ख) "हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित।

इस संबंध में विधिवत अधिकृत अभिकर्ता; तथा

(ग) किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन को किसी के संबंध में आवेदन नहीं माना जाएगा।

संपत्ति या अधिकार "।

37. आम तौर पर, ऋण खाते/ऋण को एन. पी. ए. घोषित करने पर

उस तारीख को चूक की तारीख के रूप में माना जा सकता है ताकि वित्तीय लेनदार संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर सके। हालांकि, धारा 7 तब लागू होती है जब कॉर्पोरेट देनदार "चूक" करता है। धारा 7 सचेत रूप से "चूक" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है-कॉर्पोरेट व्यक्ति के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में अधिसूचित करने की तारीख का नहीं। इसके अलावा, धारा 3 (12) में "चूक" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "ऋण" का भुगतान न करना।

जब ऋण की राशि का पूरा या कोई भाग या किश्त देय और देय हो गया हो और ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो, जैसा भी मामला हो। ऐसे मामलों में जहां निगमित व्यक्ति ने ऋण

लेनदेन के संबंध में गारंटी की पेशकश की थी, वित्तीय लेनदार का अधिकार ऐसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का है जो निगमित देनदार (निगमित गारंटर) है।

जिस क्षण प्रमुख उधारकर्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में चूक करता है, उस समय इसे चालू कर दिया गया।

21] 3 एस सी आर।

ऋण का भुगतान न करने के लिए। इस प्रकार, जब प्रमुख उधारकर्ता और /

या (निगमित) गारंटर एन. पी. ए. की घोषणा के बाद लेकिन तीन साल की समाप्ति से पहले अपने दायित्व को स्वीकार करता है और स्वीकार करता है।

जिसके कारण सीमा की नई अवधि शामिल है

(क्रमिक) स्वीकृति, सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रभाव के कारण उपार्जित नवीनीकृत सीमा से उन्हें निकालना संभव नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा 18 उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित स्वीकृति को आकर्षित करती है जिसके खिलाफ संहिता की धारा 7 के तहत समाधान प्रक्रिया शुरू करने का ऐसा अधिकार सुनिश्चित करता है। सीमा अधिनियम की धारा 18 हर बार तब लागू होगी जब प्रमुख उधारकर्ता और/या कॉर्पोरेट गारंटर (कॉर्पोरेट देनदार), जैसा भी मामला हो, ऋण का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं। इस तरह

तथापि, समय-समय पर ऋण की स्वीकृति के कारण सीमा की नई अवधि सहित सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले स्वीकृति होनी चाहिए।

संहिता की धारा 7 के तहत कार्यवाही की स्थापना। इसके अलावा, पावती एक दायित्व की होनी चाहिए जिसके संबंध में वित्तीय लेनदार धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है।

कोड "।

10. उपरोक्त को देखते हुए, श्री सिन्हा द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करना संभव नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत

उसके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के कारण लागू किया गया। जैसा कि अंबिका प्रसाद मिश्रा बनाम में माना गया है। उत्तर प्रदेश राज्य, (1980) 3 एस. सी. सी. 719, प्रत्येक तर्कपूर्ण नवीनता कानून की एक स्थिर स्थिति को पूर्ववत नहीं करती है। पांच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस प्रकार कहा:

" 5. ..... लेकिन, प्रख्यात अधिवक्ता से मैराथन विद्वता को सुनने के बाद, इस न्यायालय की 13-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में अनुच्छेद 31-ए के अधिकारों को बरकरार रखा। यह निर्णय टकटकी लगाने के सरल निर्णय और अनुच्छेद 141 के संवैधानिक आधार पर बाध्य करता है। हर नई खोज या तर्कपूर्ण नवीनता पूर्ववत नहीं हो सकती है या

एक बाध्यकारी मिसाल पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें। इस दृष्टिकोण से, रचनात्मक सरलता के साथ चमकती और उच्च दबाव की वकालत के साथ प्रस्तुत अन्य प्रस्तुतियाँ, हमें महाकाव्य

मौलिक अधिकार मामले [(1973) 4 एस. सी. सी. 225 द्वारा एक गंभीर प्रस्ताव के रूप में राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए जो निर्धारित किया गया था, उसे फिर से खोलने के लिए राजी नहीं कर सकती हैं: 1973 पूरक एससीआर 1]। कामेश्वर सिंह से [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 252:

1952 सेट पुनर्गठन

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एससीआर 889: 1952 एस. सी. जे. 354] (1952) और गोलक नाथ [आई. सी. गोलक नाथ बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर 1967 एस. सी 1643: (1967) 2 एससीआर 762: (1967) 2 एस. सी. जे. 486] (1967) केशवानंद के माध्यम से [(1973) 4 एस. सी. सी. 225: 1973 पूरक एस. सी. आर. 1] (1973) और कानन देवन [कानन देवन हिल्स प्रोडक्यूस कंपनी लिमिटेड v. केरल राज्य (1973) 1 एस. सी. आर. 356: (1972) 2 एससीसी 218: ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2301] (1972) से ग्वालियर रेयन्स [केरल राज्य बनाम। ग्वालियर रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी. (डब्ल्यूवीजी)। कं.

लिमिटेड (1973) 2 एससीसी 713: (1974) 1 एस. सी. आर. 671] (1976) और अनुच्छेद 31-ए के बाद न्यायिक जांच हुई है, हालांकि, जैसा कि पहले कहा गया है, हम निष्कर्ष को अनुच्छेद 31-ए पर आधारित नहीं करते हैं। फिर भी, यह बुनियादी बात है कि देश के संविधान को हर मौसम में न्यायिक समीक्षा द्वारा निरंतर अनिश्चितता में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह बारहमासी रहस्य के कारण, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई को पंगु बना देता है

फोरेंसिक विस्फोट के डरावने खतरे से विचलित। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह राज्य की कार्रवाई का एक प्रकार का न्यायिक अस्थिरता हो सकता है, जिसमें शामिल होना बहुत खतरनाक हो सकता है, सिवाय इसके कि इस देश और इसके लाखों लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए महान क्षण का राष्ट्रीय संकट या राष्ट्र की मूल दिशा खतरे में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रॉबर्ट्स को सही साबित करना निश्चित रूप से गलत है जब उन्होंने कहा:

[स्मिथ बनाम। ऑलराइट, 321 यूएस 649,669,670 (1944)]

" मेरी चिंता का कारण यह है कि तत्काल निर्णय,

लगभग नौ साल पहले घोषित अधिमूल्यांकन, लाने की प्रवृत्ति रखता है इस न्यायाधिकरण का उसी वर्ग में निर्णय जो प्रतिबंधित है

रेल टिकट इस दिन के लिए अच्छा है और केवल ट्रेन करें। यह खेदजनक है। कि संदेह और भ्रम से चिह्नित एक युग में, एक ऐसा युग जिसका

विचार और उद्देश्य की दृढ़ता सबसे बड़ी आवश्यकता है, यह न्यायालय

जिसे निरंतरता प्रदर्शित करने के रूप में देखा गया है

न्यायनिर्णयन, और एक स्थिरता जो संतुलन बनाए रखेगी यहां तक कि अस्थायी गिरावट और राय के प्रवाह के बावजूद, चाहिए

अब स्वयं नए संदेह और भ्रम का संवर्धक बन जाता है

हमारे संस्थानों की स्थिरता के बारे में जनता का मन।

(जोर दिया गया)

11. सीमा अधिनियम की धारा 18 इस प्रकार है:

" 18. लिखित रूप में स्वीकृति का प्रभाव। — (1) जहाँ, किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी वाद या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, एक पावती सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व में किया गया है उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लेखन जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपनी उपाधि प्राप्त करता है या

दायित्व, सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी

वह समय जब पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(2) जहां पावती वाला लेखन दिनांकित नहीं है, उस समय का मौखिक साक्षय दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे; लेकिन भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधानों के अधीन, इसकी सामग्री का मौखिक साक्षय प्राप्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(a) एक पावती पर्याप्त हो सकती है, हालांकि इसमें छूट दी गई है -

संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति निर्दिष्ट करें, या इस बात से इनकार करें कि भुगतान, वितरण, प्रदर्शन या आनंद का समय अभी तक नहीं आया है या इसके साथ भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया है, या इसे बंद करने के दावे के साथ जोड़ा गया है, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया गया है।

(ख) "हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित।

इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता, और

(ग) किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन को किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में आवेदन नहीं माना जाएगा।

12. खान बहादुर शापूर फ्रेडूम मजदा बनाम में उक्त धारा के स्पष्टीकरण की पहुंच सहित सीमा अधिनियम की धारा 18 की पहुंच पर एक प्रकाशपूर्ण चर्चा में, यह न्यायालय। दुर्गा

प्रसाद, (1962) 1 एस. सी. आर. 140 ["शापूर फ्रेडूम मजदा"] ने सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19 का उल्लेख करने के बाद, जो 1963 के अधिनियम की धारा 18 से मेल खाती है, अभिनिर्धारित किया:

" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 19 द्वारा निर्धारित स्वीकृति केवल ऋण का नवीनीकरण करती है; यह कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाता है। यह केवल विचाराधीन अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति है; इसके साथ स्पष्ट रूप से या यहां तक कि निहितार्थ द्वारा भुगतान करने का वादा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस कथन पर स्वीकृति की याचिका आधारित है, वह वर्तमान निर्वाह दायित्व से संबंधित होना चाहिए, हालांकि उक्त दायित्व की सटीक प्रकृति या विशिष्ट चरित्र को शब्दों में इंगित नहीं किया जा सकता है।

सेट पुनर्गठन में उपयोग किए जाने वाले शब्द

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और यह प्रतीत होना चाहिए कि बयान इस इरादे से दिया गया है कि इस तरह के न्यायिक संबंध को स्वीकार करें। इस तरह के इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है

प्रवेश की प्रकृति से निहितार्थ, और होना आवश्यक नहीं है

शब्दों में व्यक्त किया। यदि कथन काफी स्पष्ट है तो न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा इससे निहित हो सकता है। द.

प्रश्न में प्रवेश व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें किया जाना चाहिए

परिस्थितियों और शब्दों में जिनसे न्यायालय उचित रूप से कर सकता है अनुमान लगाएँ कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति का इरादा एक को संदर्भित करना था

कथन की तिथि के अनुसार दायित्व का निर्वाह। निर्माण में लिखित रूप में दिए गए बयानों में उपयोग किए गए शब्द जिन पर एक याचिका

मौखिक साक्षय को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है

लेकिन आसपास की परिस्थितियों पर हमेशा विचार किया जा सकता है। बताया गया है।

अनुमान लगाया जाना चाहिए, या जहाँ एक बयान दिया गया था स्पष्ट रूप से न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना

तर्क की एक शामिल या दूरगामी प्रक्रिया। व्यापक रूप से कहा गया है यह धारा में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का प्रभाव है।

19 , और वास्तव में दलों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है

इस मामले में वास्तविक कानूनी स्थिति के बारे में "।

(पृष्ठों पर 144-145)

13. अगला सवाल जिसे इस न्यायालय को संबोधित करना चाहिए वह यह है कि क्या

एक निगमित देनदार की तुलनपत्र में किए गए प्रयास के बराबर होगा

सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत दायित्व का ज्ञान।

14. इस न्यायालय के कई निर्णयों ने संकेत दिया है कि एक प्रविष्टि

तुलनपत्र सहित लेखा बही में राशि जमा की जा सकती है।

धारा 18 के अर्थ के भीतर दायित्व की स्वीकृति

अनुकरण अधिनियम। इस प्रकार, महाबीर कोल्ड स्टोरेज v. सी. आई. टी., 1991 सप

सी. सी. 402, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 12. अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ

मेसर्स प्रयागचंद के दायित्व की स्वीकृति के लिए राशि सीमा की धारा 18 के अर्थ के भीतर हनुमानमल

अधिनियम, 1963 और के निर्वहन के लिए सीमा की अवधि का विस्तार

ऋण के रूप में दायित्व। "सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

15. इसी तरह, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत चेक के अपमान से संबंधित मामले में, यह न्यायालय ए. वी. मूर्ति बनाम. बी. एस. नागबसवन्ना, (2002) 2 एस. सी. सी. 642 ["ए. वी. मूर्ति"] ने कहाः

" 5. ..... यह भी ध्यान रखना उचित है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत, एक वादा, लिखित रूप में किया गया और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जिसे उससे आरोपित किया जाना है, या उसके एजेंट द्वारा आम तौर पर या विशेष रूप से अधिकृत किया गया है उस ओर से, पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक ऋण का भुगतान करने के लिए जिसका भुगतान लेनदार ने लागू किया होगा, लेकिन मुकदमों की सीमा के लिए कानून के लिए, एक वैध अनुबंध है। इसके अलावा , तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए ऋण के बाद हर वर्ष के लिए तैयार की गई अपनी तुलन-पत्र में दिखाया था कि

मित्रों से जमा के रूप में राशि। 31-3-1997 पर बैलेंस शीट की एक प्रति भी हमारे सामने पेश की जाती है। यदि प्रत्यर्थी द्वारा उधार ली गई राशि बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, तो यह पावती के बराबर हो सकती है और लेनदार के पास उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि हो सकती है जिस दिन पावती दी गई थी। हालाँकि, हम इन सभी पहलुओं पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें प्रतिवादी के बचाव के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

ए. वी. मूर्ति (ऊपर) में निर्णय का पालन किया गया था

एस. नटराजन बनाम समा धर्मन, सीआरएल। ए. 2014 का सं. 1524 (15.07.2014 पर निर्णय लिया गया) निम्नानुसार हैः

" 7. इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से ए. वी. मूर्ति बनाम मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। बी. एस. नागबसवन्ना [ए. वी. मूर्ति बनाम। बी. एस. नागबसवन्ना, (2002) 2 एस. सी. सी. 642] जहाँ अभियुक्त ने आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता द्वारा चार साल पहले अभियुक्त को दी गई राशि के संबंध में शिकायतकर्ता के पक्ष में उसके द्वारा जारी किए गए चेक का बैंक द्वारा अपमान किया गया था। कारण "खाता बंद"। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को समन जारी किया था। सत्र न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द कर दिया

इस आधार पर कि कथित ऋण चेक जारी करने के समय सीमा द्वारा वर्जित था और इसलिए, कोई कानूनी रूप से नहीं था

अभियुक्त के विरुद्ध प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 का स्पष्टीकरण और इसलिए, शिकायत विचारणीय नहीं थी। इस आदेश की चुनौती पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि एन. आई. सेट रिकंस्ट्रक्शन की धारा 118 के तहत

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिनियम, एक धारणा है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए तैयार किया गया था। यह न्यायालय

आगे कहा गया है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 139 विशेष रूप से नोट करती है कि यह तब तक माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि किसी चेक के धारक ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए प्राप्त किया है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3), एक ऐसा वादा, जो लिखित रूप में किया गया हो और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, जिससे उस पर आरोप लगाया जाए, या उसके एजेंट द्वारा, जो उस ओर से आम तौर पर या विशेष रूप से अधिकृत हो, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक ऐसे ऋण का भुगतान करने के लिए, जिसका भुगतान लेनदार ने लागू किया हो सकता है, लेकिन मुकदमे की सीमा के लिए कानून के लिए, एक वैध अनुबंध है। न्यायालय ने अपने समक्ष मौजूद तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि

कि शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए ऋण के बाद हर वर्ष के लिए तैयार की गई अपनी तुलन-पत्र प्रस्तुत की थी और मित्रों से जमा राशि के रूप में राशि दिखाई थी। इस न्यायालय ने देखा कि संबंधित तुलनपत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इस न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त द्वारा उधार ली गई राशि बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, तो यह पावती के बराबर हो सकती है और लेनदार के पास उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि हो सकती है जिस दिन पावती दी गई थी।

बनाया गया। ..... "

16. बंगाल मिल्स कंपनी बनाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक विस्तृत निर्णय। इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़, 1961 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल

: ए. आई. आर. 1962 कैल 115 ["बंगाल सिल्क मिल्स"] ने माना कि

तुलनपत्र में दी गई देनदारी का भुगतान राशि हो सकती है।

ऋण की स्वीकृति इस प्रकार है:

" 9. इस तर्क के समर्थन में कि तुलनपत्र दायित्व की स्वीकृति के बराबर नहीं हैं, क्योंकि वे कानून की मजबूरी में तैयार किए गए थे, श्री बनर्जी काशीनाथ बनाम के निर्णय पर निर्भर हैं। न्यू अकोट जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी। लिमिटेड, आई. एल. आर. 1950 नाग। 562 568: ए. आई. आर. 1951 नाग। 255. यह सच है कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 और प्रतिवादी कंपनी के संघ के लेखों दोनों द्वारा तुलनपत्र बनाए जाने की आवश्यकता थी। एक मजबूरी थी कि

प्रबन्धन अभिकर्ताओं को दस्तावेज़ तैयार करने के लिए लेकिन उन पर कोई विशेष प्रवेश करने की कोई बाध्यता नहीं थी। उन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और ऐसा करते हुए उन्होंने ईमानदार [2021] 3 एस. सी. आर. बनाया।

कंपनी की देनदारियों को स्वीकार करना। वे प्रवेश, हालांकि अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए हैं, फिर भी सचेत और स्वैच्छिक प्रवेश हैं। किसी दस्तावेज़ को केवल आधार पर भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 19 के दायरे से बाहर नहीं किया जाता है।

कि यह कानून की मजबूरी में बनाया गया है, वेंकट बनाम देखें। पार्थ सारधी, 1892 आई. एल. आर. 16 मैड। 220 222 में, उदय थेवर बनाम। सुब्रमण्य चेट्टी, (1896) 6 एम. एल. जे. 266,269, गुड बनाम। जेन जॉब, 120 ई. आर. 810 812 पर। मैं नागपुर के फैसले के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि एक तुलन-पत्र सीमा को नहीं बचाता है क्योंकि यह कंपनी पर किए गए दावों को निर्धारित करने के कर्तव्य के तहत तैयार किया गया है, न कि इसके इरादे से

दायित्व स्वीकार करना। तुलनपत्र में प्रवेश होते हैं।

देयता का; कंपनी का एजेंट जो उन प्रवेशों को करने का इरादा रखता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। प्रवेश केवल इस आधार पर दायित्व की स्वीकृति होना बंद नहीं करते हैं कि उन्हें एक वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में बनाया गया था। मैंने देखा कि नागपुर मामले में तुलनपत्र पर एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इसे निदेशक मंडल या कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में पारित नहीं किया गया था और ऐसा लगता है कि वास्तविक निर्णय को इस आधार पर अलग किया जा सकता है कि तुलनपत्र पर कंपनी के किसी विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर या हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

प्रसाद वी. ज्वाला बैंक लिमिटेड, ए. आई. आर. 1957 सभी। 143 145 पर। उस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तुलन-पत्र में मौजूदा दायित्व की कोई स्वीकृति नहीं है और इसलिए इसे धारा 19 के तहत स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है। श्री बनर्जी ने कंदासामी रेड्डी बनाम के निर्णयों पर भी भरोसा किया। सुप्पम्मल, आई. एल. आर. 45 पागल। 443 , वेंकट वी. पार्थ सारधी, आई. एल. आर. 18 मैड। 220 , सीमा पर रुस्तमजी, छठा संस्करण, पृष्ठ

191-193 और उसमें मामले एकत्र किए गए। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v के तहत एक पावती की परीक्षा को पूरा करने के लिए।

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 19 दायित्व की स्वीकृति, विद्यमान दायित्व की स्वीकृति होनी चाहिए। कंदासामी रेड्डी बनाम। सुप्पम्मल, आई. एल. आर. 45 पागल। 443 445 पर, जे. आयलिंग ने कहा, "देयता केवल वर्तमान का संकेत दे सकती है।

स्वीकृति के समय दायित्व और यह स्पष्ट रूप से वेंकट v में निर्धारित किया गया है। पार्थसारधी, (1893) 16 मैड। 220. ” वेंकट बनाम। पार्थसारधी, आई. एल. आर. 16 मैड। 220 223 पर न्यायमूर्ति मुत्तासामी अय्यर ने कहा, "इसलिए यह आवश्यक है कि ऋणी द्वारा लिखित रूप में उपयोग की जाने वाली भाषा के उचित निर्माण पर ऋणी और लेनदार के संबंध को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। कि इसे एक स्थायी न्यायिक संबंध के रूप में भी स्वीकार किया जाना चाहिए, और फिर इसे कानूनी रूप से निर्धारित होने तक जारी रखने का इरादा भी स्पष्ट होना चाहिए। इस धारा के तहत ऋण के संबंध में देयता को निश्चित रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है, लेकिन यह स्वीकार करने की भी आवश्यकता है कि ऋण

उपयोग की गई भाषा और आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह एक निहित प्रतिनिधित्व के बराबर हो सकता है कि ऋण अभी भी मौजूद है (मणिराम देखें)।

सेठ वी. सेठ रूपचंद, आई. एल. आर. 33 कैल. 1047 पी. सी.) मेरी राय में तुलनपत्र धारा 19 के तहत एक पावती की कसौटी को पूरा करते हैं। उनमें से प्रत्येक में यह स्वीकार किया गया है कि शेष राशि पिछले वर्ष के अंत में निर्धारित की गई है और यह कि एक निश्चित राशि लेनदार को देय शेष राशि पाई गई है। तुलनपत्र से स्वाभाविक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि पिछले वर्ष के अंत में लेनदार को देय समापन शेष राशि को अगले वर्ष की शुरुआत में उसके देय प्रारंभिक शेष राशि के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक तुलनपत्र में इस प्रकार है -

ऋणी और लेनदार के संबंध को जारी रखने के लिए एक स्थायी दायित्व की स्वीकृति और दायित्व को जीवित रखने के वर्तमान इरादे का एक निश्चित प्रतिनिधित्व जब तक कि यह भुगतान या अन्यथा द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है। अनिवार्य रूप से बीच में एक समय अंतराल है

तुलनपत्र पर हस्ताक्षर करने की तिथि और पिछले वर्ष का अंत। तुलनपत्र में कोई प्रवेश नहीं है

हस्ताक्षर की तारीख को देय राशि, वह राशि पिछले वर्ष के अंत में देय राशि के रूप में दिखाई गई राशि से भिन्न हो सकती है और अक्सर होती है, लेकिन केवल यही तथ्य दस्तावेज़ को बाहर नहीं निकालता है। धारा 19 की परिधि से। एक बैंकर और उसके जमाकर्ता का मामला लीजिए। मान लीजिए कि बैंकर जमाकर्ता को फरवरी 1961 के महीने के लिए किए गए और 15 मार्च, 1961 को हस्ताक्षरित खाते का मासिक विवरण भेजता है। बयान में 28 फरवरी, 1961 को देय शेष राशि दी गई है। 15 मार्च को देय राशि काफी [2021] 3 एस. सी. आर. हो सकती है।

अलग; हो सकता है कि बैंकर को इसके लिए भुगतान किया गया हो

ग्राहक, फिर भी कथन पर्याप्त है धारा 19 के तहत स्वीकृति। इसलिए मैं ज्वाला प्रसाद बनाम के फैसले से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। ज्वाला बैंक लिमिटेड, ए. आई. आर. 1957 सभी। 144 .

11. धारा 19 के तहत आने के लिए लेनदार को ऋण की स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है और न ही यह ऋण का भुगतान करने के वादे के बराबर है। इंग्लैंड में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी कंपनी की तुलन-पत्र जिसमें लेनदार के प्रति उसके ऋण की राशि का उल्लेख हो।

विशेष ऋण के संबंध में पर्याप्त पावती है सिविल प्रक्रिया अधिनियम, 1833 (3 और 4 वसीयत-4 सी) की धारा 5 के तहत। 42) , देखें रीः अटलांटिक और प्रशांत रेशे का आयात और

मैन्युफैक्चरिंग कं. लिमिटेड, 1928 Ch. 836 प्रभु की धारा 1 के तहत

टेंटेंडन अधिनियम, 1828 (9 जीईओ। 4, सी। 14) मर्कैंटाइल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1856 (19 और 20 विक्ट. सी.) की धारा 13 के साथ पढ़ें। 97), रीः देखें। द कोलिज़ियम (बुरो) लिमिटेड, (1930) 2 Ch. 44 47 पर और सीमा अधिनियम, 1939 की धारा 23 और 24 के तहत (सी। 21), लेडिंगम बनाम देखें। बर्मेजो एस्टेंशिया कं। लिमिटेड (1947) 1 ए. ई. आर. 749 और जोन्स बनाम। बेलग्रोव प्रॉपर्टीज लिमिटेड, (1949) 2 के. बी. 700, (1949) 1 ए. ई. आर. 498 की अपील पर। सिविल प्रक्रिया अधिनियम, 1833 की धारा 5 में यह आवश्यकता नहीं थी कि दावा करने वाले लेनदार को पावती दी जानी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप डिबेंचर धारकों को ऋण की स्वीकृति वाली एक तुलन-पत्र दायित्व की पर्याप्त स्वीकृति थी।

उस धारा के तहत डिबेंचरों के संबंध में, हालांकि यह केवल उन डिबेंचर धारकों को भेजा गया था जो कंपनी के शेयरधारक थे और अन्य डिबेंचर धारकों को नहीं, रीः अटलांटिक और प्रशांत फाइबर आयात और विनिर्माण कंपनी।

अधिनियमों को संतुष्ट किया गया था, देखें पुनः: द कोलिज़ियम (बुरो) लिमिटेड, (1930) 2 Ch. 44 47, जोन्स बनाम। बेलग्रोव प्रॉपर्टीज लिमिटेड, (1949) 1 ए. ई. आर. 498 504 पर पुष्ट (1949) 2 के. बी. 700। भारत में अंतिम मामले में निर्णय का पालन किया गया है और यह माना गया है कि भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 19 के तहत तुलनपत्र में ऋण की स्वीकृति एक पर्याप्त स्वीकृति है, विजियानग्राम के राजा बनाम देखें।

आधिकारिक परिसमापक, विजयनगरम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v. बिशाल जयसवाल और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

खनन कंपनी। लिमिटेड, (1951) 2 एम. एल. जे. 535 पर 550-1: ए. आई. आर. 1952 पागल। 136 145, लाहौर एनामेलिंग एंड स्टैम्पिंग कंपनी। लिमिटेड वी. ए. के. भल्ला, ए. आई. आर. 1958 पंजाब 341 347 पर, फर्स्ट नेशनल बैंक लिमिटेड बनाम। द मंडी (स्टेट) इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (1957) 59 पंजाब

विधि प्रतिवेदन 589 और 1955 के मामले संख्या 449 में एस. आर. दास गुप्ता, जे. के एक गैर-सूचित निर्णय में पुनः: वीटा सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड 7 दिसंबर, 1956 को निर्णय लिया गया।

महत्वपूर्ण रूप से, इस निर्णय में कहा गया है कि हालांकि बैलेंस शीट दाखिल करना कानून की मजबूरी है, लेकिन ऋण की स्वीकृति नहीं है।

अनिवार्य रूप से। वास्तव में, किसी तुलनपत्र में ऐसी तुलनपत्र के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाले नोटों के साथ या लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रविष्टि होना असामान्य नहीं है, जिसे तुलनपत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि ऐसी प्रविष्टि उक्त नोट में दिए गए कारणों के लिए ऋण की स्वीकृति के बराबर नहीं होगी।

17. बंगाल सिल्क मिल्स (ऊपर) ने भी काशीनाथ शंकरप्पा बनाम में निर्णय पर विचार किया। नया अकोट कॉटन जिनिंग और प्रेसिंग कं. लिमिटेड, 1949 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 123: ए. आई. आर. 1951 नाग 255 ["काशीनाथ"] उक्त निर्णय को इस आधार पर अलग करते हुए कि तुलनपत्र

उस मामले में कंपनी के विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा नहीं किया गया था या हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इसके अलावा, यदि उक्त निर्णय पर विचार किया जाता है, तो जो स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि पैराग्राफ 20 में किया गया अवलोकन वास्तव में एक

अप्रत्यक्ष अवलोकन, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 26 में अभिनिर्धारित किया कि जो तुलनपत्र प्रस्तुत किए गए थे वे कभी भी साबित नहीं हुए थे

कानून के अनुसार, शेयरधारकों द्वारा वैध रूप से अस्वीकार किए जाने के अलावा, जिसके परिणामस्वरूप, ऐसी बैलेंस शीट, इसलिए, धारा 19 के तहत दायित्व की स्वीकृति के रूप में काम नहीं कर सकती हैं।

18. काशीनाथ शंकरप्पा वानी बनाम में उच्चतम न्यायालय में एक अपील में। न्यू अकोट कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी लिमिटेड, 1958 एस. सी. आर. 1331 में, इस न्यायालय ने वाणिज्यिक दस्तावेज साक्षय अधिनियम (1939 का XXX) की धारा 3 (बी) का उल्लेख किया और फिर यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम के तहत, वर्ष के लिए प्रतिवादी कंपनी की तुलनपत्र

1940-1941 साक्षय में स्वीकार किया जाना चाहिए था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दुर्भाग्य से उक्त अधिनियम के प्रावधानों को उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। हालाँकि, ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने तब यह अभिनिर्धारित किया कि उस मामले के तथ्यों पर, कोई भी धारणा नहीं की जा सकती है कि धारा 3 (बी) के तहत बैलेंस शीट विधिवत बनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उस मामले के तथ्यों पर दायित्व की कोई स्वीकृति नहीं हो सकती है।

19. उत्तरदाताओं के वकील ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दो अन्य फैसलों पर भी भरोसा किया। जहाँ तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का संबंध है, विजयलक्ष्मी बनाम। हरि हरा गिनिंग एंड प्रेसिंग, नंदीगाँव,

1998 का ओएस ए नंबर 40 (03.03.1999 पर निर्णय लिया गया), लिब्रहान, सी. जे. कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले से अलग था जिसमें कहा गया था कि बैलेंस शीट में राशि दिखाना सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत एक पावती के बराबर होगा। यह इस प्रकार किया गया था:

" 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। हेगड़े एंड गोले लिमिटेड, 1985 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 428: आई. एल. आर. 1987 कर 2673, जिसमें यह देखा गया है कि तुलनपत्र में राशि दिखाना भारतीय सीमा अधिनियम के संदर्भ में एक पावती के बराबर है। नतीजतन, राशि स्वीकार किए जाने और प्रतिवादी द्वारा उसी का भुगतान नहीं करने के कारण, याचिका में उक्त निर्णय द्वारा निर्धारित स्वीकार करने की आवश्यकता थी कि दीवानी मुकदमे के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी एक साथ जारी रह सकती है। इसके बिना उक्त निर्णय में निर्धारित कानून पर अपनी राय व्यक्त करते हुए, हालांकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि केवल बैलेंस शीट में बकाया ऋण दिखाना पावती के बराबर होगा, हम यह देख सकते हैं कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि स्वीकृति देने के लिए, एक व्यक्ति को अपने कार्य के बारे में जागरूक होना होगा।

स्पष्ट रूप से वसूली के लिए सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण स्वीकार करने के इरादे से होना था, जो कि यहाँ मामला नहीं है। इस प्रकार, हम इस मामले को उक्त निर्णय द्वारा निर्धारित कानून के दायरे में नहीं पाते हैं, हालांकि हम निर्धारित कानून
की शुद्धता के संबंध में हमारे अपने संदेह हैं

उक्त निर्णय में नीचे "।

यह निर्णय, किसी भी तरह से, कानून को निर्धारित करने के लिए भी नहीं है। इसके अलावा, यह कथन कि सीमा अधिनियम द्वारा परिकल्पित एक पावती, वसूली के लिए सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण स्वीकार करने के इरादे से होनी चाहिए, सीमा अधिनियम की धारा 18 के विपरीत है और सीधे तौर पर शापूर फ्रेडूम के विपरीत है।

मजदा (ऊपर) जिसका वास्तव में अगले पैराग्राफ सेट रिकंस्ट्रक्शन में उल्लेख किया गया है।

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उपरोक्त निर्णय। शापूर फ्रेडूम मजदा (ऊपर) ने बनाया था

इसमें केवल इतना ही आवश्यक था कि स्वीकृति

ऋणी और लेनदार के बीच एक न्यायिक संबंध की कामना करता है, जो निस्संदेह उस मामले के तथ्यों पर आधारित है। इसलिए यह निर्णय नहीं हो सकता है।

उत्तरदाताओं।

20. रिलायंस को अजीत चंद्र बागची बनाम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी रखा गया था। हरिशपुर टी कंपनी (पी.) लिमिटेड, एस. सी. सी. ऑनलाइन गौ 24: ए. आई. आर. 1991 जी. ओ. 92. विशेष रूप से, अनुच्छेद

10 उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था। ये

ग्राफ में कहा गया है:

" 9. अब मैं अपीलार्थियों-प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील की अगली प्रस्तुति की ओर रुख कर सकता हूं कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि

विचाराधीन राशि प्रतिवादियों से देय थी। द.

वकील का तर्क है कि वादी ने केवल अदालत के समक्ष कुछ लेखा पुस्तकों और तुलनपत्रों को प्रस्तुत किया। उक्त लेखा बहियों में व्यक्तिगत प्रविष्टियों को साबित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। वादी द्वारा दावे को स्थापित करने की मांग की गई थी

केवल वादी की लेखा पुस्तकों में दिखाई देने वाली शेष राशि के आधार पर जो राज्य की चाय संपदाओं के खिलाफ बकाया है।

अभियुक्त। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादियों से देय राशि दिखाने वाली लेखा बहियां या बैलेंस शीट ऋण को साबित करने के लिए अन्य सबूतों के बिना पर्याप्त नहीं हैं। इस संबंध में विद्वान वकील ने साक्षय अधिनियम की धारा 34 पर भरोसा किया, जिसमें यह प्रावधान है कि व्यवसाय के दौरान नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां, जो प्रासंगिक हैं, अकेले किसी भी व्यक्ति पर दायित्व का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। विद्वान वकील ने उक्त व्यक्ति को दिए गए चित्रण पर भी भरोसा किया

खंड, जो इस प्रकार है:

" ए बी पर रुपये का मुकदमा करता है। 1000 , और अपनी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ दिखाता है जिसमें बी को इस राशि के लिए ऋणी दिखाया गया है। प्रविष्टियाँ प्रासंगिक हैं, लेकिन अन्य सबूतों के बिना पर्याप्त नहीं हैं। ऋण साबित करने के लिए "।

उपरोक्त प्रावधान के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया था कि लेखा पुस्तकों में प्रतिवादियों को कुछ राशि के लिए वादी का ऋणी दिखाने वाली प्रविष्टियां प्रासंगिक हो सकती हैं लेकिन ऋण को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तत्काल मामले में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया, प्रविष्टियाँ भी साबित नहीं हुई हैं।

21] 3 एस सी आर।

प्रतिवादियों से देय खातों या तुलनपत्र में दिखाई देने वाली शेष राशि को साबित करने की मांग की जाती है। "बताए गए खातों" के मामले को छोड़कर इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं है। मान लीजिए,

10. मैंने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। मैं पाता हूँ कि न तो व्यक्तिगत प्रविष्टियाँ वादी द्वारा साबित की गई हैं और न ही यह साबित करने के लिए कि विचाराधीन लेन-देन वास्तव में हुए थे, लेखा बहियों या तुलनपत्र के अलावा कोई अन्य सामग्री। इसलिए वादी द्वारा केवल लेखा पुस्तकों में कुछ प्रविष्टियों या ऐसे खातों में या तुलनपत्रों में वर्ष के अंत में देय दिखाई गई शेष राशि के आधार पर कोई डिक्री प्राप्त नहीं की जा सकती है। तत्काल मामले में स्वीकृत स्थिति यह है कि वादी द्वारा इसे साबित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है

मुकदमे में दावा की गई राशि प्रतिवादियों से देय थी। उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने वाद का आदेश देना उचित नहीं था। मुकदमे को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, सिवाय इसके कि यह रुपये की राशि की वसूली से संबंधित है। 30 / - . इसके अलावा, वादी कानून के अनुसार ऋण साबित करने में भी विफल रहा। इन परिस्थितियों में, मुकदमा होना चाहिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है "।

लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ उस तथ्यों पर साबित नहीं हुईं मामला।

21. अब हमें कंपनी अधिनियम, 2013 ["कंपनी अधिनियम"] के तहत स्थिति की जांच करनी चाहिए कि बैलेंस शीट और उसमें की गई पावती को दाखिल करने के लिए कानून की कोई मजबूरी क्या है। कंपनी अधिनियम की धारा 2 (40) वित्तीय विवरण को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" 2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX XXX XXX

(40) " किसी कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण में शामिल हैं - (i) वित्तीय वर्ष के अंत में एक तुलनपत्र; सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लाभ और हानि खाता, या किसी कंपनी के मामले में

((ख)

कोई ऐसी गतिविधि करना जो लाभ के लिए न हो, आय और

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय खाता;

(iii)

वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण;

((iv)

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, यदि लागू हो; और

(v)

उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट दस्तावेज़: बशर्ते कि वित्तीय विवरण, एक के संबंध में

व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी, शायद नहीं

नकदी प्रवाह विवरण शामिल करें;

XXX XXX "

धारा 92 के तहत, प्रत्येक कंपनी को वार्षिक रिटर्न तैयार करना होता है।

कुछ विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैं:

" 92. वार्षिक प्रतिफल। (1) प्रत्येक कंपनी एक रिटर्न तैयार करेगी।

(इसके बाद वार्षिक विवरणी के रूप में संदर्भित) निर्धारित

विवरण वाला प्रपत्र जिसमें वे अंत में खड़े थे वित्तीय वर्ष के बारे में

(अ)

इसका पंजीकृत कार्यालय, प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ, विवरण

इसकी होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का;

(ख)

इसके शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियाँ और शेयरधारिता

पैटर्न;

(ग) _ [* * *]; ®

परिवर्तनों के साथ इसके सदस्य और डिबेंचर धारक

((घ)

उसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से;

(ङ) इसके प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ-साथ पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से इसमें परिवर्तन।

वर्ष;

सदस्यों या उनके किसी वर्ग की बैठकें, बोर्ड और इसके

( )

उपस्थिति विवरण के साथ विभिन्न समितियाँ;

(जी)

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक;

(ज)

कंपनी, उसके निदेशकों पर लगाया गया जुर्माना या सजा

या अधिकारी और अपराधों के चक्रवृद्धि का विवरण और

इस तरह के दंड या सजा के खिलाफ की गई अपील; [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुपालन, प्रकटीकरण के प्रमाणन से संबंधित मामले

((i)

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

(;)

द्वारा धारित शेयरों के संबंध में विवरण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है

या विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से; और

(ट) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं,

और एक निदेशक और कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है, व्यवहार में एक कंपनी सचिव द्वारा: बशर्ते कि एक व्यक्ति कंपनी और छोटी कंपनी के संबंध में, वार्षिक रिटर्न पर कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

कंपनी के निदेशक द्वारा सचिव, या जहाँ कोई कंपनी सचिव नहीं है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार "एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी" के लिए वार्षिक रिटर्न का संक्षिप्त रूप निर्धारित कर सकती है।

कंपनी और कंपनियों के ऐसे अन्य वर्ग या वर्ग जो निर्धारित किए जाएं।

(2) किसी सूचीबद्ध कंपनी या किसी कंपनी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी

ऐसी चुकता पूंजी या कारोबार होने पर, जो निर्धारित किया जाए, कंपनी सचिव द्वारा व्यवहार में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि वार्षिक विवरणी तथ्यों का खुलासा करती है।

सही और पर्याप्त रूप से और यह कि कंपनी ने इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन किया है।

(3) प्रत्येक कंपनी वार्षिक विवरणी की एक प्रति उस पर रखेगी

कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, और इस तरह के वार्षिक रिटर्न का वेब-लिंक बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

(5) यदि कोई कंपनी उप-धारा के तहत अपना वार्षिक विवरणी दाखिल करने में विफल रहती है। (4) , उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, दस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा और निरंतर विफलता के मामले में, एक सेट रिकंस्ट्रक्शन के साथ।

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, एक कंपनी के मामले में अधिकतम दो लाख रुपये और पचास हजार रुपये के अधीन है।

एक अधिकारी का मामला जो चूक में है। (6) यदि एक कंपनी सचिव व्यवहार में वार्षिक रिटर्न को प्रमाणित करता है

लाख रुपये "। धारा 128 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी अपने प्रावधानों को तैयार करेगी और रखेगी।

प्रत्येक पद के लिए कार्यालय, लेखा पुस्तकें और वित्तीय विवरण

वर्ष इस प्रकार है:

" 128. कंपनी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकें आदि। — (1)

प्रत्येक कंपनी तैयार करेगी और अपने पंजीकृत कार्यालय में रखेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य प्रासंगिक पुस्तकें और कागजात और वित्तीय विवरण जो कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति भी शामिल है।

शाखा कार्यालय या कार्यालय, यदि कोई हों, और पंजीकृत कार्यालय और उसकी शाखाओं दोनों में किए गए लेन-देन की व्याख्या करें और ऐसी पुस्तकें संचय के आधार पर और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखी जाएंगी।

लेखांकन का:

बशर्ते कि उपरोक्त सभी या किसी भी लेखा पुस्तिका और अन्य प्रासंगिक कागजात को ऐसे अन्य स्थान पर रखा जा सकता है।

भारत निदेशक मंडल के रूप में निर्णय ले सकता है और जहां ऐसा निर्णय लिया जाता है, कंपनी, उसके सात दिनों के भीतर, उस अन्य स्थान का पूरा पता देते हुए पंजीयक के साथ लिखित रूप में एक नोटिस दाखिल करेगी: बशर्ते कि कंपनी इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऐसी लेखा बहियां या अन्य प्रासंगिक कागजात रख सकती है।

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

XXX XXX "

धारा 129, जो महत्वपूर्ण है, सीधे वित्तीय स्रोतों और राज्यों को निम्नानुसार संदर्भित करती है:

" 129. वित्तीय विवरण। — (1) वित्तीय विवरण कंपनी की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देंगे या

कंपनियां, [2021] 3 एस. सी. आर. के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का पालन करती हैं।

धारा 133 और उस रूप या प्रपत्र में होगी जो प्रदान किया जा सकता है।

अनुसूची III में कंपनियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए:

बशर्ते कि ऐसे वित्तीय विवरणों में निहित मदें लेखांकन मानकों के अनुसार हों: बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी बीमा या बैंकिंग कंपनी या किसी कंपनी पर लागू नहीं होगा।

बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में लगे हुए, या कंपनी के किसी अन्य वर्ग के लिए जिसके लिए ऐसे वर्ग को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में या उसके तहत वित्तीय विवरण का एक रूप निर्दिष्ट किया गया है।

कम्पनी:

बशर्ते कि वित्तीय विवरणों को इस प्रकार नहीं माना जाएगा कि वे राज्य की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण का खुलासा नहीं करते हैं। कंपनी, केवल इस तथ्य के कारण कि वे खुलासा नहीं करते हैं

(क) बीमा कंपनी के मामले में, कोई भी मामले जिनका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) द्वारा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है;

(बी) एक बैंकिंग कंपनी के मामले में, कोई भी मामले जिन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है;

(ग) बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनी के मामले में, कोई भी मामला जिसका बिजली अधिनियम, 2003 (2003 का 36) द्वारा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है;
(घ) तत्काल लागू किसी अन्य कानून द्वारा शासित कंपनी के मामले में, कोई भी मामला जिसका उस कानून द्वारा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में, कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा।

XXX XXX XXX (5) उप-धारा (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जहां किसी कंपनी के वित्तीय विवरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन नहीं करते हैं, कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में लेखांकन से विचलन का खुलासा करेगी।

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मानकों, इस तरह के विचलन के कारणों और वित्तीय प्रभावों,

यदि कोई हो, तो ऐसे विचलन से उत्पन्न होता है।

XXX XXX XXX

(7) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो

प्रबंध निदेशक, वित्त के प्रभारी पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपित इस धारा की आवश्यकताओं का पालन करने के कर्तव्य के साथ और ऊपर उल्लिखित किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति में, सभी निदेशक एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से दंडनीय होंगे जो कम नहीं होगा।

पचास हजार रुपये से अधिक लेकिन जो पाँच लाख तक हो सकता है

रुपये, या दोनों के साथ।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ अन्यथा आवश्यक है,

वित्तीय विवरण में ऐसे वित्तीय विवरण के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाले कोई भी नोट शामिल होंगे, जो इस के तहत दिए जाने के लिए आवश्यक जानकारी देते हैं और ऐसे नोटों के रूप में दिए जाने की अनुमति देते हैं। अधिनियम "।

इसी तरह, धारा 134 के तहत, वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने से पहले निदेशक मंडल द्वारा उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, और या की रिपोर्ट, साथ ही निदेशक मंडल द्वारा एक रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ निम्नानुसार संलग्न की जानी चाहिए:

समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, सहित वित्तीय विवरण पर बोर्ड की ओर से बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जहां वह बोर्ड द्वारा अधिकृत है या दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी होगी। कंपनी के सचिव, जहाँ भी वे नियुक्त किए जाते हैं, या एक व्यक्ति कंपनी के मामले में, केवल एक निदेशक द्वारा, लेखा परीक्षक को उसकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करने के लिए।

(2) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाएगी। बयान।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) सामान्य बैठक में कंपनी के समक्ष रखे गए बयानों के साथ उसके निदेशक मंडल की एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जो शामिल करें

XXX XXX XXX

( ) प्रत्येक पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकृति

बनाया गया।

((i) लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में; और

((ii) कंपनी सचिव द्वारा अपने सचिवालय में व्यवहार में

लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

(छ) इसके तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

धारा 186;

XXX XXX XXX

बशर्ते कि जहां इस उप-धारा में निर्दिष्ट प्रकटीकरणों को वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, ऐसे प्रकटीकरणों को बोर्ड की रिपोर्ट में दोहराने के बजाय संदर्भित किया जाएगा: XXX XXX XXX

(4) इस धारा के तहत वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाने वाली निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अर्थ, एक व्यक्ति कंपनी के मामले में, लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकृति पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियों वाली रिपोर्ट होगी।

XXX XXX XXX (7) समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, सहित प्रत्येक वित्तीय विवरण की एक हस्ताक्षरित प्रति जारी, वितरित या प्रकाशित की जाएगी।

((क) ऐसे वित्तीय लेख के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाले कोई भी नोट।

कथन;

((ख) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट; और (ग) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट।

(8) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करती है, तो कंपनी पर तीन लाख सेट रिकंस्ट्रक्शन का जुर्माना लगाया जाएगा।

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

रुपये और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में है पचास हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 137 के तहत, वित्तीय विवरणों की प्रतियां कंपनी पंजीयक के पास निम्नानुसार होनी चाहिए:

" 137. जमा किए जाने वाले वित्तीय विवरण की प्रति

पंजीयक। (1) समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, सहित वित्तीय विवरणों की एक प्रति, सभी के साथ

जिन दस्तावेजों को इस अधिनियम के तहत ऐसे वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाना या संलग्न किया जाना आवश्यक है, जिन्हें कंपनी की वार्षिक आम बैठक में विधिवत अपनाया गया है, उन्हें वार्षिक आम बैठक की तारीख से तीस दिनों के भीतर इस तरह से पंजीयक के पास दाखिल किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के तहत वित्तीय विवरण वार्षिक आम बैठक में स्वीकार नहीं किए जाते हैं या स्थगित वार्षिक आम बैठक में स्वीकार नहीं किए जाते हैं, ऐसे गैर-स्वीकृत वित्तीय विवरण उप-धारा (1) के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ वार्षिक सामान्य की तारीख के तीस दिनों के भीतर पंजीयक के पास दाखिल किए जाएंगे। बैठक और पंजीयक उन्हें अपने अभिलेखों में इस प्रकार लेगा -

इसके लिए स्थगित वार्षिक आम बैठक में वित्तीय विवरणों को स्वीकार करने के बाद उनके पास दाखिल किए जाने तक अस्थायी उद्देश्य:

बशर्ते कि स्थगित वार्षिक आम बैठक में अपनाए गए वित्तीय विवरण ऐसे स्थगित वार्षिक आम बैठक की तारीख से तीस दिनों के भीतर पंजीयक के पास दाखिल किए जाएंगे।

इस तरह के शुल्क या ऐसे अतिरिक्त शुल्क के साथ बैठक जो हो सकता है

निर्धारित किया गया:

बशर्ते कि एक व्यक्ति कंपनी अपने सदस्य द्वारा विधिवत अपनाए गए वित्तीय विवरणों की एक प्रति, उन सभी दस्तावेजों के साथ दाखिल करेगी जिन्हें इस तरह के दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

वित्तीय विवरण, एक सौ अस्सी दिनों के भीतर

वित्तीय वर्ष का समापन:

बशर्ते कि कोई कंपनी, पंजीयक के पास दाखिल किए जाने वाले अपने वित्तीय विवरणों के साथ, इन खातों को संलग्न करेगी -

इसकी सहायक या सहायक कंपनियां जो भारत के बाहर निगमित की गई हैं और जिन्होंने भारत में अपने व्यवसाय का स्थान स्थापित नहीं किया है।

भारत।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि किसी सहायक के मामले में जो

भारत के बाहर निगमित किया गया (यहाँ "विदेशी" के रूप में संदर्भित) सहायक), जिसे अपना वित्तीय विवरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने निगमन के देश के किसी भी कानून के तहत लेखापरीक्षित और जो इस तरह के वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षा नहीं कराता है,

चौथा परंतुक पूरा किया जाएगा यदि धारक भारतीय कंपनी फाइल करती है

इस घोषणा के साथ ऐसा गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

प्रभाव और जहां ऐसा वित्तीय विवरण किसी अन्य भाषा में है

अंग्रेजी की तुलना में, वित्तीय विवरण की एक अनुवादित प्रति के साथ

अंग्रेजी में।

(2) जहाँ किसी भी वर्ष के लिए किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक

आयोजित नहीं किया गया है, वित्तीय विवरण के साथ उप-धारा (1) के तहत संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तथ्यों के विवरण और न रखने के कारणों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित

वार्षिक आम बैठक पंजीयक के पास दाखिल की जाएगी। अंतिम तिथि से तीस दिन पहले वार्षिक आम बैठक

आयोजित किया जाना चाहिए था और इस तरह से, इस तरह के शुल्क के साथ या

अतिरिक्त शुल्क जो निर्धारित किया जाए।

(3) यदि कोई कंपनी वित्तीय विवरणों की प्रति दाखिल करने में विफल रहती है उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत, जैसा भी मामला हो, पहले

उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, कंपनी दस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी और जारी रखने के मामले में

कंपनी का अधिकारी, यदि कोई हो, और प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की अनुपस्थिति में, कोई अन्य निदेशक जो बोर्ड द्वारा अनुपालन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारित

इस धारा के प्रावधान, और, ऐसे किसी भी प्रावधान के अभाव में

निदेशक, कंपनी के सभी निदेशक, दस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे और निरंतर विफलता के मामले में, बाद के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये के अतिरिक्त जुर्माने के साथ।

पहला जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम के अधीन

पचास हजार रुपये "।

22. उपरोक्त धाराओं के अवलोकन से पता चलता है कि

कि के अनुसार तुलनपत्र दाखिल करना

कंपनी अधिनियम का कोई भी उल्लंघन अनिवार्य है

कानून द्वारा दंडनीय होना। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

23. बंगाल सिल्क मिल्स (ऊपर) के फैसले को विभिन्न अन्य फैसलों में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है। इस प्रकार दक्षिण एशिया में इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम जनरल कृष्ण शमशेर जंग बहादुर राणा, 1972 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 185: आईएलआर (1972) 2 डेल 712, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 46. श्री रामेश्वर डायल ने तर्क दिया कि किसी कंपनी की तुलनपत्र में दिए गए विवरण देयता की स्वीकृति नहीं हो सकते क्योंकि तुलनपत्र कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की मजबूरी में बनाया जाता है। इस तर्क में कोई बल नहीं है। सबसे पहले, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 में केवल यह अपेक्षा की गई है कि दायित्व की स्वीकृति लिखित रूप में की गई होगी, लेकिन यह निर्धारित नहीं करता है कि लेखन किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज़ में होना चाहिए। अत: यह तथ्य कि लेखन एक तुलनपत्र में निहित है, महत्वहीन है। दूसरे स्थान पर, यह सच है कि कंपनी अधिनियम, 1913 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210) की धारा 131 यह अनिवार्य बनाती है कि निदेशकों द्वारा एक वार्षिक तुलनपत्र तैयार किया जाना चाहिए और कंपनी के समक्ष रखा जाना चाहिए, और धारा 132 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211) के लिए आवश्यक है कि तुलनपत्र में एक -

अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की वर्तमान देनदारियों का सारांश। लेकिन, जैसा कि जे. बचावत ने बंगाल सिल्क मिल्स बनाम में बताया है। इस्माइल

गुलाम हुसैन आरिफ़, ए. आई. आर. 1962 कलकत्ता 115 यद्यपि वार्षिक तुलनपत्र तैयार करने के लिए वैधानिक बाध्यता थी, कोई विशेष प्रवेश करने की कोई बाध्यता नहीं थी, और किसी दस्तावेज़ को [2021] 3 एस. सी. आर. की धारा 18 के दायरे से बाहर नहीं लिया गया है।

भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 (भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19) केवल इस आधार पर तैयार किया गया है कि यह कानून की मजबूरी या वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किया गया है। विजियानग्राम बनाम के राजा में निर्णयों का भी संदर्भ दिया जा सकता है। विजियानग्राम माइनिंग कंपनी। लिमिटेड, ए. आई. आर. 1952 मद्रास

136 , जोन्स वी। बेलग्रोव प्रॉपर्टीज लिमिटेड, (1949) 1 ऑल ई. आर. 498; और लाहौर एनामेलिंग एंड स्टैम्पिंग कंपनी। ए. के. भल्ला, ए. आई. आर. 1958 पंजाब 341, जिसमें कंपनियों की तुलनपत्र में विवरण कंपनियों के दायित्व की स्वीकृति के बराबर माना गया था। 47. श्री रामेश्वर डायल ने समेकित एजेंसियां लिमिटेड बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का उल्लेख किया। बद्र्राम लिमिटेड, (1964) 3 सभी। ई. आर. 282. हम वर्तमान में इस निर्णय का विज्ञापन करेंगे जब

हम श्री रामेश्वर डायल के एक अन्य तर्क पर विचार करते हैं, और जहां तक विचाराधीन तर्क का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि प्रिवी काउंसिल के इस निर्णय में भी यह मान्यता दी गई है कि कुछ परिस्थितियों में बैलेंस शीट दायित्व की स्वीकृति के बराबर हो सकती है। इसलिए, यह कानून के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट में दिए गए बयान दायित्व की स्वीकृति के रूप में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं जैसा कि श्री रामेश्वर डायल ने तर्क दिया है।

48. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में तुलनपत्र में प्रविष्टि में उपयोग किए गए शब्द दायित्व की किसी भी स्वीकृति के बराबर नहीं हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। शब्द हैं।

प्रविष्टि में उपयोग किया गया स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसकी वर्तमान देनदारियों और उसके लिए किए गए प्रावधानों को समझाते हुए, यह कहा गया था कि रु। 7,87, 150.42 शेयरधारकों के संदेह में रखा गया

इंडियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड के शेयरधारकों को भुगतान के लिए खाता (भंग होने के बाद से स्वैच्छिक परिसमापन में)। उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट रूप से दायित्व को स्वीकार करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी तुलनपत्र में उपयोग किए गए शब्दों के संबंध में वही दृष्टिकोण अपनाया। लाहौर एनामेलिंग एंड स्टैम्पिंग कंपनी लिमिटेड बनाम ए. के. भल्ला, जे. टेक चंद ने अभिनिर्धारित किया कि "लेनदारों के देय ऋण जिनका नाम से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन" ऋण (असुरक्षित) "से संबंधित मद में शामिल हैं या जैसा कि तुलनपत्र में उल्लिखित" सुंदर लेनदारों "के कारण है, भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19 के प्रयोजनों के लिए दायित्व की" स्वीकृति "के बराबर है। इस प्रकार विद्वान वकील के तर्क में कोई बल नहीं था।

XXX XXX सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v. बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

51. अगला तर्क यह था कि बैलेंस शीट में कोई संदेह नहीं था।

अधिनियम की धारा 210 में निदेशक मंडल से वार्षिक आम बैठक में कंपनी के समक्ष एक तुलनपत्र रखने की अपेक्षा की गई है। धारा 211 एक तुलनपत्र के प्रपत्र और सामग्री को निर्धारित करती है। तुलन-पत्र का रूप अधिनियम की अनुसूची VI के भाग 1 में दिया गया है और इसके अनुसार वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का विवरण दिया गया है। इसे बैलेंस शीट में रखा जाना चाहिए। धारा 215 (i) (ii) के लिए अपेक्षित है

कि तुलनपत्र पर निदेशक मंडल की ओर से, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के सचिव और कंपनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। धारा 215 (3) प्रदान करती है

कि निदेशक मंडल की ओर से हस्ताक्षर किए जाने से पहले एक तुलनपत्र को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। धारा 215 (i) (ii) के अनुसार और उससे पहले लेखा परीक्षकों को उनकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अतः वर्तमान का कथन

सचिव और बोर्ड की ओर से दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से पहले बैलेंस शीट में देनदारियों और प्रावधानों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन पर सचिव और दो निदेशकों द्वारा बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तुलनपत्रक लेखापरीक्षा भेलाक बाद, धारा 216 ई अपेक्षा करैत अछि जे लेखापरीक्षकक रिपोर्ट तुलनपत्रक सङ्ग संलग्न कयल जाय आ धारा 217 निदेशक मंडलसँ सेहो एक रिपोर्ट तैयार करबाक अपेक्षा करैत अछि। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैलेंस शीट और

वर्तमान मामले में, बैलेंस शीट (अनुसूची डी से अनुलग्नक जे) पर सचिव और दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और अनुलग्नक जे इसमें लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट होती है। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में कहा गया था कि कंपनी द्वारा बैलेंस शीट को अपनाया गया था और यह हमारे सामने विवादित नहीं था। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बैलेंस शीट पर कंपनी के विधिवत अधिकृत एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। "[2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. कलकत्ता उच्च न्यायालय में अकेले बैठे सब्यसाची मुखर्जी, जे. (उनके स्वामी के रूप में) के फैसले में, 1973 के एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 93 में, पंडम टी लिमिटेड में कहा गया है: ए. आई. आर. 1974 कैल 170, के रूप में आयोजित

वीएस:

" 4. अब सवाल यह है कि क्या लाभ और हानि खातों और परिसंपत्तियों में निहित विवरण और निदेशकों की रिपोर्ट के रूप में शेयरधारकों को दिए गए निदेशकों के बयान के साथ याचिका दायर करने वाले लेनदार के दायित्व का संकेत देने वाले देयता पक्ष को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो क्या पढ़ें

इन दोनों कथनों को मिलाकर एक धारा 18 के तहत विचार के अनुसार स्वीकृति

सीमा अधिनियम, 1963 या सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19। मेरी राय में, इन दोनों कथनों को एक साथ पढ़ना होगा। तुलनपत्र शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत और पारित किया जाता है और आम तौर पर निदेशकों की रिपोर्ट के साथ होता है। शेयरधारकों के लिए। इसलिए तुलनपत्र को समझने और तुलनपत्र में दिए गए विवरणों को समझाने के लिए, विवरणों के सही अर्थ और उद्देश्य का पता लगाने के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र को एक साथ लिया जाना चाहिए। याचिका दायर करने वाले लेनदार के वकील ने तर्क दिया कि कानून के तहत बैलेंस शीट एक अलग दस्तावेज था और इस तरह अगर बैलेंस शीट पर स्पष्ट स्वीकृति थी

निदेशकों की रिपोर्ट के बयान को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

विचार करें। यह सच है कि बैलेंस शीट एक वैधानिक दस्तावेज है और शायद एक अलग दस्तावेज है लेकिन शेयरधारकों द्वारा पुष्टि या पारित नहीं की गई बैलेंस शीट को सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, तुलनपत्र को मान्य करने के लिए, इसे उचित बैठक में शेयरधारकों द्वारा विधिवत पारित किया जाना चाहिए।

और ऐसा करने के लिए इसके साथ एक रिपोर्ट, यदि कोई हो, होनी चाहिए। निदेशकों द्वारा बनाया गया। इसलिए, भले ही तुलन-पत्र एक अलग दस्तावेज हो सकता है, तथ्यों में ये दोनों दस्तावेज

और मामले की परिस्थितियों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और एक साथ समझा जाना चाहिए। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा एल. सी. मिल्स बनाम के मामले में आयोजित किया गया था। एल्यूमीनियम कॉर्प. ऑफ इंडिया लिमिटेड, (1971) 1

एससीसी 67: ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1482 में कहा गया था कि यह स्पष्ट था कि जिस कथन पर स्वीकृति की याचिका स्थापित की गई थी, वह धारा के अनुसार एक स्थायी दायित्व से संबंधित होना चाहिए और यह होना चाहिए -

अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया गया। हालाँकि, यह एक सेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए भुगतान करने के वादे के बराबर नहीं है

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

स्वीकृति ने कार्रवाई का एक नया अधिकार नहीं बनाया, बल्कि केवल सीमा की अवधि को बढ़ाया। विवरण में देयता की सटीक प्रकृति या विशिष्ट चरित्र को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत विवरण में उपयोग किए गए शब्द, हालांकि, वर्तमान निर्वाह देयता से संबंधित होने चाहिए और उदाहरण के लिए, एक देनदार और एक लेनदार के रूप में पक्षों के बीच एक न्यायिक संबंध के अस्तित्व और इस तरह के न्यायिक संबंध को स्वीकार करने के इरादे को इंगित करते हैं। हालाँकि, इस तरह के इरादे को स्पष्ट शब्दों में होने की आवश्यकता नहीं है और प्रवेश की प्रकृति और निहितार्थ से अनुमान लगाया जा सकता है

आसपास की परिस्थितियाँ। आम तौर पर, एक उदारवादी

विचाराधीन कथन का निर्माण दिया जाना चाहिए। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि जहां एक बयान न्यायिक संबंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना दिया गया था, तो इस तरह का इरादा एक शामिल और दूरगामी तर्क से बयान देने वाले व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए। उस दस्तावेज़ के इरादे का पता लगाने के लिए जिसके द्वारा पावती का अर्थ लगाया जाना था

समग्र रूप से दस्तावेज़ को पढ़ा जाना चाहिए और समग्र रूप से पढ़े गए दस्तावेज़ के कुल प्रभाव से पक्षों के इरादे का पता लगाया जाना चाहिए। ..... '

25. हेगड़े एंड गोले लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक, 1985

ऑनलाइन कार 428: आई. एल. आर. 1987 कर 2673, कर्नाटक उच्च न्यायालय इस प्रकार है:

" 43. री. बिन्दु (ई)। कंपनी के तुलनपत्र में निहित दायित्व की स्वीकृति सीमा का एक नया प्रारंभिक बिंदु प्रस्तुत करती है। जैसा कि भारत में कानून है, यह आवश्यक नहीं है कि स्वीकृति को संबोधित किया जाए और उसे सूचित किया जाए

कंपनी की तुलनपत्र में ऋणों की स्वीकृति सीमा का नया प्रारंभिक बिंदु प्रस्तुत करती है जो किसी भी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता के लिए बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है (देखें - जोन्स वी। बेलग्रोव प्रॉपर्टीज लिमिटेड [1949 (1) सभी ई. आर. 498], पुनः: कैम्पानिया डी इलेक्ट्रीसिडैड [1980 सीएच डी 146], बाबूलाल रुकमानंद बनाम। आधिकारिक परिसमापक [ए. आई. आर. 1968 राजस्थान 214] और बंगाल सिल्क मिल्स कं. v. इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़ [ए. आई. आर. 1962 कलकत्ता 115])। हम नहीं देखते हैं इस विवाद में भी सार है। "[2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. भजन सिंह सामरा बनाम। एम/एस। विम्पी इंटरनेशनल लिमिटेड, एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4888: (2011) 185 डीएलटी 428, दिल्ली उच्च न्यायालय

" 13. पक्षकारों को सुनने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि याचिका दायर करने वाले लेनदार को न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि जिस ऋण पर याचिका आधारित है वह याचिका की तारीख को देय और देय था। निश्चित रूप से समयबद्ध ऋण समापन याचिका का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि, ऋण को या तो बैलेंस शीट में या प्रतिवादी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र के रूप में स्वीकार करना, सीमा की अवधि को बढ़ाते हुए एक पावती के बराबर होगा। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 (1) में उक्त सिद्धांत को शामिल किया गया है। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 (1) निम्नानुसार है:

" 18. लिखित रूप में स्वीकृति का प्रभाव।

(1) जहाँ, किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी वाद या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति उस पक्ष द्वारा लिखित रूप में की गई है जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया गया है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपना शीर्षक या दायित्व प्राप्त करता है, उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब स्वीकृति

इस तरह हस्ताक्षर किए गए थे।

XXX XXX "

14. फोर्टिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय v. के. एच. एस. एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (1999) 95 कंपनी मामले 622 (सभी) ने अभिनिर्धारित किया कि देनदार कंपनी के सहायक उपाध्यक्ष द्वारा एक पावती इस तरह की पावती की तारीख से सीमा की एक नई अवधि की गणना करने के लिए पर्याप्त थी।

15. बंगाल सिल्क मिल्स के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय

को. वी. इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़, ए. आई. आर. 1962 कैल. 115 यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी कंपनी के खिलाफ धन आदेश से उत्पन्न अपील में, यहां तक कि कंपनी की तुलन-पत्र में देयता का विवरण भी ऋण को स्वीकार करने/स्वीकार करने के बराबर है जो

सीमा की एक नई अवधि, इस तथ्य के बावजूद कि तुलन-पत्र 'कानून की मजबूरियों और कंपनी के संघ के लेखों' के तहत तैयार किया गया था।

सेट पुनर्गठन

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

16. विजय कुमार मशीनरी और इलेक्ट्रिकल स्टोर बनाम।

अलपर्थी लक्ष्मीकांतम्मा, (1969) 74 आई. टी. आर. 224 (ए. पी.)

कं. (ऊपर), विजियानग्राम के राजा बनाम। आधिकारिक परिसमापक, विजयनगरम माइनिंग कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1952 मैड। 1361 , लाहौर एनामेलिंग एंड स्टैम्पिंग कंपनी लिमिटेड v. ए. के. भल्ला, आकाशवाणी 1958 पुंज। 341 और जोन्स वी। बेलग्रोव प्रॉपर्टीज लिमिटेड, (1949) 2 All.ER 198 ने अभिनिर्धारित किया, "उपरोक्त निर्णय पर विचार करने से जो बात सामने आती है वह यह है कि दूसरे प्रतिवादी द्वारा तुलनपत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख ने सीमा की एक नई अवधि शुरू की"।

17. नतीजतन, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के रुपये के ऋण की स्वीकृति। 50,000 / - प्रत्यर्थी के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा-कंपनी द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2002 और 21 नवंबर, 2002 के पत्रों के साथ-साथ प्रत्यर्थी में-31 मार्च, 2004,31 मार्च, 2005 और 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्षों के लिए कंपनी की बैलेंस शीट में न केवल सीमा की अवधि बढ़ाई गई है, बल्कि समापन दाखिल करने के लिए कार्रवाई का नया कारण भी है। याचिका। तदनुसार, वर्तमान समापन याचिका के भीतर है

सीमा "।

27. सी. आई. टी.-III में v. श्री वर्धमान ओवरसीज लिमिटेड, 2011 एस. सी. सी. ने डेल 5599: (2012) 343 दिल्ली उच्च न्यायालय ने आई. टी. आर. 408 में कहा:

" 17. हमारे समक्ष मामले में, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा सही बताया गया है, निर्धारिती ने लेनदारों के खाते से उक्त राशि को अपने लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं किया है। देनदारी को 31 मार्च, 2002 को बैलेंस शीट में दिखाया गया था। निर्धारिती एक सीमित कंपनी होने के नाते, यह लेनदारों के पक्ष में ऋणों को स्वीकार करने के बराबर है। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 लिखित रूप में स्वीकृति के प्रभाव का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि इस संबंध में किसी मुकदमे के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी संपत्ति या अधिकार की, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति उस पक्ष द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित की गई है जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया गया है, सीमा की एक नई अवधि उस समय से शुरू होगी जब पावती पर इस तरह से हस्ताक्षर किए गए थे। एक प्रारंभिक मामले में, इंग्लैंड में, जोन्स बनाम। बेलग्रोव प्रॉपर्टीज, (1949) 2 के. बी. 700, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कंपनी की तुलनपत्र में कंपनी के एक लेनदार-शेयरधारक को प्रस्तुत किया गया एक विवरण और कंपनी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित

निदेशक ऋण की स्वीकृति का गठन करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शीत भंडारण वी। सीआईटी (1991) 188 आईटीआर 91: 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 402, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ मेसर्स के प्रति दायित्व की स्वीकृति के बराबर होंगी। धारा 18 के अर्थ में प्रयागचंद हनुमानमल सीमा अधिनियम, 1963 और ऋण के रूप में दायित्व के निर्वहन के लिए सीमा की अवधि का विस्तार।

इस न्यायालय के कई निर्णयों में इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया गया है। दया चंद उत्तम प्रकाश जैन बनाम। संतोष देवी शर्मा 67 (1997) डी. एल. टी. 13, एस. एन. कपूर जे. ने सिद्धांत को लागू किया।

ऐसे मामले में जहां प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या सी. पी. सी. आदेश 37 के तहत मुकदमा एक पावती के आधार पर दायर किया जा सकता है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम कमर्शियल इलेक्ट्रिक वर्क्स 67 (1997) डी. एल. टी. 387 इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक कंपनी की बैलेंस शीट, जिसमें प्रतिवादियों ने वादी को देय एक विशेष राशि दिखाई थी, सीमा अधिनियम की धारा 18 के अर्थ के भीतर एक पावती का गठन करेगी। ऋषि पाल गुप्ता बनाम। एस. जे. बुनाई और

फिनिशिंग मिल्स प्रा. लिमिटेड 73 (1998) डी. एल. टी. 593, वही दृष्टिकोण लिया गया था। अंतिम दो निर्णयों का हवाला गीता मित्तल, जे. ने एस. सी. गुप्ता बनाम में दिया था। एलाइड बेवरेजेस कंपनी प्रा. लिमिटेड (30/4/2007 पर निर्णय लिया गया) और यह माना गया कि किसी कंपनी द्वारा अपनी तुलनपत्र में की गई स्वीकृति का विस्तार करने का प्रभाव पड़ता है

सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनों के लिए सीमा की अवधि। अंबिका मिल्स लिमिटेड में अहमदाबाद बनाम. सीआईटी गुजरात (1964) 54 आई. टी. आर. 167 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी कंपनी की तुलनपत्र में दिखाया गया ऋण सीमा अधिनियम की धारा 19 के उद्देश्य के लिए एक पावती के बराबर है और ऐसा करने के लिए, उस तुलनपत्र में जिसमें ऐसी पावती दी गई है, उसे लेनदारों को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। इन प्राधिकारियों के आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, निर्धारिती कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2002 को अपनी तुलनपत्र में विभिन्न लेनदारों के खातों का खुलासा सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनों के लिए उनके पक्ष में ऋण की स्वीकृति के बराबर है। इस प्रकार, लेनदारों के प्रति निर्धारिती का दायित्व बना रहा और न ही यह समाप्त हुआ और न ही इसे लेनदारों द्वारा प्रेषित किया गया। दायित्व कानून की अदालत में लागू करने योग्य था। सेट पुनर्गठन

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

28. शाही एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. लिमिटेड वी. सीएमडी बिल्डटेक प्रा. लिमिटेड, एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2535: (2013) 202 डीएलटी 735, दिल्ली उच्च न्यायालय

" 7. कुएँ के समर्थन में अधिकारियों का हवाला देना शायद ही आवश्यक है।

यह स्थिति स्थापित की गई है कि कंपनी की तुलनपत्र में की गई प्रविष्टि ऋण की स्वीकृति के बराबर है और इसका प्रभाव सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत सीमा की अवधि बढ़ाने का है। हालाँकि, मैं भजन सिंह सामरा बनाम में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश (मनमोहन, जे.) के केवल एक निर्णय का उल्लेख कर सकता हूँ। विम्पी इंटरनेशनल लिमिटेड 185 (2011) डी. एल. टी. 428 इस साधारण कारण से कि यह इस मुद्दे पर सभी संबंधित अधिकारियों को एकत्र करता है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से मेरे सामने उद्धृत कुछ निर्णय भी शामिल हैं। यह फैसला पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं का समर्थन करता है।

इस बिंदु पर "।

29. एन. एस. अटवाल बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, 2013 एस. सी. सी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3902 में कहा:

" 11. ई. एस. पी. एन. सॉफ्टवेयर इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड, [2012] 173 कॉम्प कैस 465 (दिल्ली) ने नोट किया कि:

" 17. तुलनपत्र में प्रवेश प्रति-प्रवेश होता है

19. इस प्रविष्टि में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रु। 8,00,04,000 / - अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा देय और देय है। इस दस्तावेज़ पर कंपनी के निदेशकों और उसके कंपनी सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं। 31.10.2002 . "

इसी तरह, भजन सिंह सामरा बनाम में। विम्पी इंटरनेशनल लिमिटेड,

[2012] 173 कम्पोज़ केस 455 (दिल्ली), अदालत ने नोट किया:

जो याचिका आधारित है वह याचिका की तारीख को देय और देय थी। निश्चित रूप से समयबद्ध ऋण समापन याचिका का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि, ऋण का स्वीकार भी तुलनपत्र में या प्रत्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र के रूप में, एक पावती होगी।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसी तरह के निष्कर्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा भी दर्ज किए गए हैं।

बंगाल सिल्क मिल्स कं. बनाम में न्यायालय इस्माइल गुलाम हुसैन आरिफ़,

ए. आई. आर. 1962 कैल 115, पैराग्राफ 12, और विजियानग्राम के राजा बनाम। द.

आधिकारिक परिसमापक, विजयनगरम माइनिंग कंपनी लिमिटेड,

विशाखापट्टनम, ए. आई. आर. 1952-136. वास्तव में, प्रविष्टि इस तरह स्वीकार करती है

दावा की गई राशि के लिए जे. एस. पी. एल. के प्रति देयता, और कोई स्पष्टीकरण जो प्रदान किया जा सकता है, या प्रविष्टि के आसपास की परिस्थिति, उस देयता के तथ्य को बदल सकती है। इस प्रकार, जबकि यह स्वीकार दायित्व स्थापित करता है, तथ्य का पता उल्लिखित पत्रों के आदान-प्रदान से लगाया जाता है।

ऊपर, इस प्रकार मामले को आदेश XXXVII सी. पी. सी. के भीतर लाना।

30. एम/एस में। अल-अमीन लिमिटेड बनाम। के. पी. सेतुमाधवन, 2017 ऑनलाइन केर 11337: (2017) 4 के. एल. जे. 80, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया किः

" 7. विधिवत तैयार की गई तुलनपत्र में ऋण को शामिल करना और प्रमाणित किया जाना एक दायित्व को स्वीकार करने के बराबर होगा और इसलिए अधिनियम की धारा 18 के तहत एक वैध पावती के लिए कानून की आवश्यकता को पूरा करता है। हम श्री के शब्दों को दोहरा सकते हैं।

न्यायमूर्ति पी. सुब्रमण्यन पोती ने कृष्णन असारी बनाम. अकिलकेराला

विश्वकर्मा महासभा [1980 के. एल. टी 515 (डी. बी.)] और

निम्नलिखित उद्धरण हैः

" 10. तय करने में तुलनपत्र पर कितनी दूर तक कार्रवाई की जा सकती है

अपीलार्थी का दावा अगला प्रश्न है। अपीलार्थी दायित्व की स्वीकृति के रूप में तुलनपत्र पर निर्भर करता है। सीमा अधिनियम , 1963 की धारा 18 में अनुध्यात। धारा 18 के तहत उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित दायित्व की स्वीकृति, जिसके खिलाफ अधिकार का दावा किया जाता है, सीमा की एक नई अवधि को जन्म देती है। धारा के स्पष्टीकरण (बी) के तहत 'हस्ताक्षरित' शब्द का अर्थ है या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित। एक कंपनी जो एक निगमित निकाय है, अपने प्रतिनिधियों, प्रबंध निदेशक और बोर्ड के माध्यम से कार्य करती है।

निदेशक। कंपनी अधिनियम की धारा 210 के तहत यह वैधानिक है

निदेशक मंडल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वार्षिक आम निकाय की बैठक में कंपनी के समक्ष एक तुलन-पत्र और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा रखे। धारा 211 निर्देश देती है कि तुलनपत्र का प्रपत्र और सामग्री अनुसूची VI के भाग I में दी गई होनी चाहिए। उक्त प्रपत्र में ऋणों और अग्रिमों के विवरण और विभिन्न लेनदारों के बारे में भी बताया गया है। बैलेंस शीट को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और उसके बाद प्रबंधक या सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उपरोक्त प्रावधानों द्वारा, एक तुलनपत्र वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित करने वाले व्यक्ति दस्तावेज़ कंपनी के एजेंट के रूप में अपनी क्षमता में ऐसा करता है। विधिवत तैयार की गई तुलनपत्र में ऋण को शामिल करना और

प्रमाणित किया जाना एक दायित्व को स्वीकार करने के बराबर होगा और

इसलिए वैध के लिए कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत स्वीकृति, भले ही निदेशक बैलेंस शीट को प्रमाणित करके केवल एक वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और ऐसा करने का इरादा नहीं रखते हैं

एक स्वीकृति "।

31. जेस्ट सिस्टम्स प्रा. लि. लिमिटेड वी. व्यावसायिक और विकास केंद्र

उद्यमिता अध्ययन, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12116, दिल्ली

अदालत ने कहा:

" 5. शाही एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. लिमिटेड वी. सीएमडी बिल्डटेक प्रा. लिमिटेड (ऊपर) इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 7. इस सुस्थापित स्थिति के समर्थन में अधिकारियों का हवाला देना शायद ही आवश्यक है कि कंपनी की तुलनपत्र में की गई प्रविष्टि ऋण की स्वीकृति के बराबर है और इसका प्रभाव सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत सीमा की अवधि बढ़ाने का है। हालाँकि, मैं उल्लेख कर सकता हूँ

इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के केवल एक निर्णय के लिए

(मनमोहन, जे.) भजन सिंह सामरा बनाम में। विम्पी

इंटरनेशनल लिमिटेड, 185 (2011) डी. एल. टी. 428 इस साधारण कारण से कि यह इस मुद्दे पर सभी संबंधित प्राधिकरणों को एकत्र करता है, जिसमें मेरे समक्ष उद्धृत कुछ निर्णय भी शामिल हैं।

याचिकाकर्ता। यह निर्णय पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं का समर्थन करता है

यह बिंदु "।

6. ऊपर उल्लिखित निर्णयों में वर्णित कानूनी स्थिति को देखते हुए, तुलनपत्र में ऋण की स्वीकृति का विस्तार होता है।

सीमा की अवधि। पावती 31.3.2015 पर है। यह मुकदमा 2017 में दायर किया गया था। मुकदमा स्पष्ट रूप से सीमा के भीतर है। द.

वर्तमान आवेदन की अनुमति है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

21] 3 एस सी आर।

32. अग्नि विमानन सलाहकार बनाम। तेलंगाना राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन टीएस 1462: (2020) 5 एएलडी 561, तेलंगाना का उच्च न्यायालय

आयोजित:

अलपर्थी लक्ष्मी कांतम्मा, (1969) 74 आई. टी. आर. 224 (ए. पी.), और बंगाल सिल्क मिल्स कंपनी, विजियानग्राम के राजा बनाम। आधिकारिक लिक्विडेटर, विजयनगरम माइनिंग कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1952

मैड 1361)।

108. इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि देनदारी की स्वीकृति लेनदार को संबोधित दस्तावेज़ में निहित होनी चाहिए।

अर्थात् तत्काल मामले में याचिकाकर्ता "।

33. अत: यह स्पष्ट है कि वी. पद्मकुमार (उपर्युक्त) मामले में पूर्ण पीठ का बहुमत निर्णय उपरोक्त निर्णयों के विपरीत है। न्याय का अल्पमत निर्णय (सेवानिवृत्त) ए. आई. एस. चीमा, सदस्य (न्यायिक), इनमें से अधिकांश निर्णयों पर विचार करने के बाद, सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसलिए, हम एन. सी. एल. ए. टी. की पूर्ण पीठ के दिनांक 12.03.2020 के बहुमत निर्णय को दरकिनार करते हैं।

34. एन. सी. एल. ए. टी. ने दिनांक 22.12.2020 के विवादित फैसले में, पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले पर पुनर्विचार किए बिना, वी. पद्मकुमार (ऊपर), रबर-उसी पर मुहर लगाई। इसलिए हम उपरोक्त विवादित फैसले को भी दरकिनार कर देते हैं।

35. इस मामले के तथ्यों पर, एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 19.02.2020 के फैसले में दर्ज किया कि इस मामले में चूक को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा स्वीकार किया गया था, और वर्ष 2016-2017 के लिए कॉर्पोरेट देनदार की हस्ताक्षरित बैलेंस शीट कॉर्पोरेट देनदार द्वारा विवादित नहीं थी। परिणामस्वरूप, एन. सी. एल. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 7 का आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं था, और इसलिए, इसे स्वीकार किया। हम पहले ही अनुच्छेद 33 और 34 में दिनांकित एन. सी. एल. ए. टी. की पूर्ण पीठ के बहुमत निर्णय और दिनांकित एन. सी. एल. ए. टी. के आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर चुके हैं। इसलिए इस अपील की अनुमति दी जाती है और मामला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयसवाल और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

हमारे निर्णय में निर्धारित कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए एन. सी. एल. ए. टी. को भेज दिया गया है।

2021 की सिविल अपील संख्या 3

24.06.2019 पर अपीलार्थी। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान अपील को सीमा के बिंदु पर निर्णय के लिए एन. सी. एल. ए. टी. को भेज दिया जाए। 2. उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री जायेश डोलिया ने तर्क दिया कि चूंकि सेवा प्रभावित नहीं हुई थी

उत्तरदाताओं ने कहा कि जब एन. सी. एल. टी. ने धारा 7 के आवेदन को स्वीकार करते हुए एकपक्षीय आदेश पारित किया, तब कोई भी उपस्थित नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में, इस मामले के तथ्यों पर, समय कम से कम 2002 में चलना शुरू हुआ, और 2019 में दायर एक आवेदन को स्पष्ट रूप से सीमा के भीतर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत तीन साल की अवधि लंबे समय से समाप्त हो गई है।

3. हम पहले ही 2021 की सिविल अपील No.323 में पूर्ण पीठ के दिनांकित 12.03.2020 फैसले को दरकिनार कर चुके हैं। श्री [2021] 3 एस. सी. आर. के तर्क को देखते हुए।

डोलिया कि सेवा उत्तरदाताओं पर ठीक से प्रभावित नहीं हुई थी, यह

नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को एन. सी. एल. टी. को वापस भेजने के लिए उपयुक्त होगा। यदि आवश्यक हो तो दलों को अपनी दलीलों में संशोधन करने की अनुमति है। सिविल अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

2020 की सिविल अपील No.3765

1. इस अपील में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले पर हमला करते हैं। इस मामले के तथ्यों पर, वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन 23.07.2018 पर दायर किया गया था, और एक बार संशोधित किया गया था, किसी भी याचिका में किसी भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

दायित्व दिया गया। एन. सी. एल. टी. ने दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि इस तथ्य के बावजूद कि निगमित देनदार के खाते को 2010 से एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था, क्योंकि एन. सी. एल. टी. के अनुसार, इस मामले के तथ्यों में कार्रवाई का एक निरंतर कारण था, धारा 7 आवेदन स्वीकार किया गया था। निगमित देनदार के निलंबित प्रबंध निदेशक द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. को दायर एक अपील में, दिनांक 26.09.2019 के एक आदेश द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि प्रासंगिक तिथि जिससे सीमा निर्धारित की जानी चाहिए वह 01.12.2016 है, अर्थात वह तिथि जिस पर आई. बी. सी. लागू हुआ, और इसलिए, अपील को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश को दरकिनार कर दिया और बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सीमा के प्रश्न की फिर से जांच करने के लिए मामले को एन. सी. एल. ए. टी. को भेज दिया। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एस. सी. सी. 633 और सागर शर्मा बनाम। फीनिक्स आर्क (पी) लिमिटेड, (2019) 10 एससीसी 353।

2. एन. सी. एल. ए. टी. ने दिनांक 14.10.2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा पाया कि अपीलार्थी ने निगमित देनदार के खाते को एक प्रकार से वर्गीकृत किया था।

28.05.2014 पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति। हालांकि, कॉर्पोरेट देनदार के ऋण को पुनर्गठित करने के प्रयास के बाद उक्त तिथि को बदलकर 31.01.2010 कर दिया गया था।

खाता विफल रहा। ऋणदाताओं के संघ का हिस्सा बनने वाले तीन अन्य बैंक, अर्थात्। , पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और यूको बैंक ने भी कॉर्पोरेट देनदार के खाते को गैर-निष्पादित खाते के रूप में वर्गीकृत किया था।

परिसंपत्ति क्रमशः 30.06.2014,31.12.2014, और 31.12.2014 पर। भले ही चूक की तारीख को इन तिथियों में से अंतिम माना गया था, यानी 31.12.2014, NCLAT ने माना कि अनुच्छेद 137 के तहत तीन साल की अवधि

सीमा अधिनियम 30.12.2017 पर समाप्त हो गया था, और चूंकि IBC की धारा 7 के तहत संशोधित आवेदन केवल 23.07.2018 पर दायर किया गया था, इसलिए इसे सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील को स्वीकार कर लिया।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v. बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

3. श्री रोहतगी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा 21.09.2020 पर दायर लिखित प्रस्तुतियों में, NCLAT द्वारा निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद 17.09.2020 पर, यह बताया गया था कि निगमित देनदार ने वर्ष 2014-2015 के लिए अपनी तुलनपत्र में अपनी देनदारी को स्वीकार किया था, और लिखित प्रस्तुतियों में दिए गए कारणों के लिए 31.01.2010 को चूक की तारीख नहीं माना जा सकता था। इन लिखित प्रस्तुतियों को ध्यान में नहीं रखा गया था जब एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित बयान दिया था।

निर्णय।

4. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. ए. सुंदरम ने इनमें से प्रत्येक का प्रतिवाद किया है। प्रस्तुतियाँ। उनके अनुसार, लिखित प्रस्तुतियाँ कभी भी अभिवचनों का विकल्प नहीं हो सकती हैं, और यदि अभिवचनों में कमी है, तो मामला समाप्त हो जाता है। मान लीजिए, तथ्यों पर, एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कभी भी यह अभिवचन नहीं किया गया है कि किसी भी तुलनपत्र में निहित दायित्व की स्वीकृति ने सीमा बढ़ा दी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गुण-दोष के आधार पर, यदि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट देखी जाती है, तो दायित्व की कोई स्वीकृति नहीं है, क्योंकि कोई भी तथाकथित स्वीकृति, वास्तव में, लेखा परीक्षक द्वारा किए गए नोटों द्वारा योग्य है। यह मामला होने के कारण, अपीलार्थी को अब एन. सी. एल. ए. टी. में वापस जाने का कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, अपीलार्थी ने पहले ही एक बार अपनी दलीलों में संशोधन कर लिया है, और इस न्यायालय ने पहले ही मामले को एन. सी. एल. ए. टी. को भेज दिया है, जिसने दूसरे दौर में, प्रत्यर्थियों के पक्ष में अपील का फैसला किया।

5. श्री रोहतगी ने दलीलों में संशोधन के लिए हमारे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस न्यायालय के फैसलों के अनुसार इस स्तर पर भी इसकी अनुमति दी जा सकती है। 6. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी दायित्व की स्वीकृति का अनुरोध करने में पूरी तरह से अक्षम और त्रुटिपूर्ण रहा है।

इस मामले के तथ्यों पर। हालाँकि, उत्तरदाताओं से कथित रूप से देय चौंका देने वाली राशि को देखते हुए, हम एक और अवसर प्रदान करते हैं

अपीलार्थी अपने अभिवचनों में संशोधन करे ताकि एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर लिखित प्रस्तुतियों में जो कहा गया है उसे शामिल किया जा सके, बशर्ते कि अपीलार्थी द्वारा आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाताओं को रुपये/- का भुगतान किया जाए।

7. इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं, एन. सी. एल. ए. टी. के दिनांकित 14.10.2020 के फैसले को दरकिनार करते हैं, और अपील को उस फाइल में पुनर्स्थापित करते हैं जिस पर निर्णय लिया जाना है। 2021 की सिविल अपील संख्या 323 में हमारे फैसले के आलोक में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. इस न्यायालय द्वारा 16.12.2020 पर पारित अंतरिम आदेश खाली है। 2020 की सिविल अपील No.3228

1. इस अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. दिनांकित 07.02.2020 का निर्णय है

जिसमे एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया है कि 2015 और 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए निगमित देनदार की तुलनपत्र में की गई प्रविष्टियाँ दायित्व की स्वीकृति के बराबर नहीं हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप एन. सी. एल. टी. आदेश अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकार करता है। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अलग रखा गया था।

2. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस मामले में धारा 7 आवेदन का आधार एक डी. आर. टी. डिक्री दिनांकित 17.08.2018 था, जिसके अनुसार एक वसूली

दिनांकित 19.06.2019 प्रमाण पत्र जारी किया गया था। धारा 7 के आवेदन में कहा गया है कि डी. आर. टी. डिक्री की तारीख कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करती है और इस प्रकार, इस मामले में सीमा का प्रारंभिक बिंदु था।

3. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ बरुआ ने तर्क दिया है कि इस अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और मामले को 2021 की सिविल अपील No.323 में दिए गए हमारे फैसले के अनुसार NCLAT को वापस भेजा जाना चाहिए।

4. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सौरभ कृपाल ने तर्क दिया है कि कोई याचिका नहीं है।

दायित्व की स्वीकृति या तो एन. सी. एल. टी. या के समक्ष की गई थी

एनसीएलएटी। इसके बजाय, केवल एक ही दलील दी गई थी कि चूक की तारीख वह तारीख थी जिस पर डी. आर. टी. डिक्री पारित की गई थी, जो कानून में पूरी तरह से गलत है। धारा 7 आवेदन निराशाजनक रूप से समय से वर्जित होने के कारण, अब अपीलार्थी को इस अभिवचन को अस्वीकार करने का कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

5. जैसा कि हमने 2021 की सिविल अपील में निर्णय लिया है, हम इस मामले में अपीलार्थी को अपनी याचिका में संशोधन करने का एक और अवसर देते हैं।

आज से चार सप्ताह के भीतर उत्तरदाताओं को रुपये 1,00,000/- की लागत का भुगतान। एन. सी. एल. ए. टी. के दिनांकित 07.02.2020 के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए एन. सी. एल. ए. टी. को भेज दिया गया है।

2021 की सिविल अपील No.323 में निर्धारित कानून के अनुसार।

2021 के एस. एल. पी. (सिविल) No.1168 से उत्पन्न सिविल अपील

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ है जिसने एन. सी. एल. टी. के दो आदेशों को दरकिनार कर दिया था-(i) आदेश एसेट रिकंस्ट्रक्शन।

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड v.

बिशाल जयस्वाल और एएनआर। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दिनांक 19.08.2019 जिसमें एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी का आवेदन स्वीकार किया

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत, और (ii) दिनांकित 20.02.2020 आदेश, जिसके तहत एन. सी. एल. टी. ने निगमित देनदार के परिसमापन का आदेश दिया।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय कपूर ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की और तर्क दिया कि प्रतिवादी के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है

एन. सी. एल. टी. के फैसले में हस्तक्षेप किया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री पोद्दार ने कमलेश के संदर्भ में उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करने की मांग की है। बाबू वी। लाजपत राय शर्मा, (2008) 12 एस. सी. सी. 577, और विशेष रूप से पैराग्राफ 23 में कहा गया है कि सीमा के रूप में एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर विचार किया और एन. सी. एल. टी. के आदेशों को सही ढंग से खारिज कर दिया।

4. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 1 के आदेश में कहा था कि अनुच्छेद 137 के बजाय सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 63 (ए) लागू होगा, जो हमारे द्वारा कई निर्णयों में दिए गए निर्णयों के विपरीत है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दरकिनार करते हुए गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने तब कुछ तुलनपत्रों का उल्लेख किया जो प्रस्तुत किए गए थे, जिससे सीमा की धारा 18 के तहत सीमा बढ़ गई।

अधिनियम, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि बाबूलाल (ऊपर) में निर्णय को देखते हुए, ऐसी तुलनपत्र सीमा नहीं बढ़ा सकते हैं।

5. 2021 की सिविल अपील No.323 में दिए गए फैसले को देखते हुए, इस अपील में विवादित फैसले को भी दरकिनार किया जाना चाहिए। इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है। यदि प्रतिवादी दिनांक 19.08.2019 के NCLT के आदेशों के खिलाफ NCLAT के समक्ष अपील दायर करना चाहता है।

और 20.02.2020, यह इस निर्णय की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है। इसके बाद 2021 की सिविल अपील No.323 में निर्धारित कानून के बयान को ध्यान में रखते हुए अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देविका गुजराल

मामल

ों का निपटारा किया गया।